NEWS LETTER

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY JABALPUR



Nonviolence is a weapon of the strong

Court Based Legal Services

Ist Pre Litigation Mediation at International Level


Employer-Employee Dispute

One Jhalak Jain complainant filed a complaint against her employer company viz. Pivotchain Solutions Technologies Pvt. Ltd. for her wrongful termination and non-payment of arrears of her salary. It has been averred that the company has refused to pay her legitimate claim qua the salary and her reimbursement bills in accordance with the terms and conditions of her job contract. She filed complaint before Habibganj Police station, Bhopal being resident of Bhopal and as well as Pune Police station, Maharashtra since the company was based at Pune, Maharashtra. After lock down, the directors of the said company ran away to Dubai. When the complainant has filed the complaint before this Authority, the Director remained staying at Dubai.

DLSA Bhopal has issued a notice to the company to appear before this Authority to settle the dispute through pre litigation mediation. The company appeared before this Authority through its lawyer Sh. Jatin Sharma from Delhi.

After few online sessions of pre litigation mediation, both the complainant and the company settled their dispute amicably, accordingly, settlement was done by executing MOU dated 10th September as per agreed certain terms and conditions. It has been agreed that the

employer company shall pay full and final amount of Rs 3,20,000/- in two installments equal subject withdrawal of all complaints which was filed against the company by the complainant. The company shall issue experience certificate the complainant without any negative remarks. In compliance of said MOU, the company has paid Ist installment on 26th September, 20. Today, on 08th October, 20, the requisite documents and remaining balance payment as stated in the said MOU were done by the parties through online mode. Nothing remain unsettled between the parties. The Company shall pay the



remaining balance amount by today itself. Matter is resolved amicably by the parties.

Success Story on M.P. Crime Victim Compensation Scheme, 2015

DLSA SHIVPURI

DLSA, Shivpuri under the M.P. Victim Compensation Scheme, 2015 (MPVCS) on 10-10-2020 passed order in 03 cases. Victim Compensation Case No. 05/2018 arose from the application filed by the legal heirs of deceased Mr. Mahesh Sharma whose death was homicidal.

On the basis of this application DLSA- Shivpuri initiated proceeding and conducted enquiry as prescribed under the Scheme. During inquiry it came to the knowledge that regarding the murder of Mr. Mahesh Sharma a Session trail no. 75/2018 title State of M.P. through Police Station Satanwada Vs Klayan and other is pending before the 4th ASJ, Shivpuri. On this basis DLSA, Shivpuri sent a letter to concerned Court regarding the status of a case and if judgement is passed the true copy of the same be sent to DLSA, Shivpuri. In this case 4th ASJ, Shivpuri passed the Judgement on dated 06-03-2020 by convicting accused Kalyan for the murder of Mahesh Sharma. After completing the procedure as per MPVCS 2015 the DLSA, Shivpuri awarded Rs. 4 Lacs as compensation to wife and daughter of the deceased respectively vide order dated 10-10-2020.

Case No. 07/2019 arose from the S.T. No. 240/2016 State through Kotawali Shivpuri Vs Nirpat Rawat and others Judgement dated 19-09-2019 passed by 6th ASJ, Shivpuri. The said Court in the Judgement Para 100 stated that deceased Laxman Rawat's 02 minior sons who have suffered loss/damages as a result of their father murder they shuld be rehabilitated by providing reasonable compensation. True copy of the said Judgement was sent to DLSA, Shivpuri, in compliance therof DLSA Shivpuri registered the matter under MPVCS 2015 and proceeded according to provision of that compensation Scheme.

After completing the enquiry as per procedure it was found that Smt. Gunja@Baby@Neeta the wife of deseased Laxman Rawat has been the accused under whose conspiracy the murder of Laxman Rawat took place and she has been also convicted by 6th ASJ, Shivpuri along with co-accused, so she is not entitled for compensation. On this basis DLSA, Shivpuri awarded Rs. 4 Lacs Compensation to the deceased's minior son's Aditya Rawat and Adarsh Rawat by order dated 10-10-2020.

Case No. 03/2020 arose from the S.S.T. No. 100/2017 State through Police Station Bhonti Vs Nawal Jatav Judgement dated 18-02-2020 passed by Special Court Pocso. The Special Court in the Judgement's Para 43 recommended that prosecutrix a minior girl be compensated for the loss/damages suffered as a result of rape/sexual assault. The true copy of said Judgement's was send to DLSA, Shivpuri on the basis of that DLSA, Shivpuri registered the case under M.P. Victim Compensation Scheme, 2015 and conducted enquiry as per procedure.

After completion of enquiry the DLSA, Shivpuri awarded Rs. 2 Lacs compensation in favour of minior girl for the loss/damages as a result of rape/sexual assault on her by order dated 10-10-2020.

In conclusion DLSA, Shivpuri has awarded total Rs. 10 Lacs Compensation under M.P. Victim Compessation Scheme, 2015 in 03 cases thereby benefitting 05 persons.

E- inauguration of Mediation Center & Vivaad Viheen Gram

On 17 October, 2020 at 05.00 PM, Shri Justice Sharad Arvind Bobde, Hon'ble the Chief Justice of India, Supreme Court and Partron-in-Chief, National Legal Services Authority, New Delhi inaugurated 03 newly constructed Mediation Centers through online mode at Tehsil Legal Services

Committees viz. Bijawar, Kasrawad and Mauganj of Districts Chhatarpur, Mandleshwar and Rewa in gracious presence of Shri Justice Sanjay Yadav, Hon'ble Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and other Hon'ble Judges of High Court,



Jabalpur. So far, 43 ADR Centers & 45 Tehsil Mediation Centers have been established in Madhya Pradesh, making a total of 88 ADR / Mediation Centers.

In the said program, under the Litigation Free Village Scheme 2000 of

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2020-10-18 | Page- 1

CJI Sharad Bobde inaugurates three newly-constructed mediation centres

Staff Reporter

CHIEF Justice of India and Patron-in-Chief, National Legal Services Authority (NLSA), Justice Sharad Arvind Bobde, on Saturday, inaugurated as many as three newly-constructed mediation centres online at Tehsil Legal Services Committees, including Bijawar, Kasrawad and Mauganj of districts Chhatarpur, Mandleshwar and Rewa, in presence of Justice SanjayYadav, Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court. So far, 43 ADR centres and 45 Tehsil mediation centres have

been established in Madhya Pradesh, making a total of 88 ADR/Mediation centres.

During the programme, under Litigation Free Village Scheme 2000 of MP State Legal Services Authority, as many as five villages, including Chargaon Pinjara of Chhindwara district, Barbaspur of Seoni district, Bija Jabalpur district, Kathora district Mandleshwar and Melpada district Jhabua were selected and inaugurated online. On the occasion, CJI Bobde also inaugurated mediation centres of Nema and Gond communities in Jabalpur. The important step will

pave way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner.

Mediation is a free process, in which no party loses and the mediation settlement that is agreed and reached by the conflicting parties attains finality. With inauguration of mediation centres at tehsil level, disposal of cases in remote locations of the State will be possible through mediation, which will not only resolve disputes and decrees litigation but also create an environment of harmonious cohesion in society along with saving of time and resources.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd



Madhya Pradesh State Legal Services Authority, 05 Villages viz. Chargaon Pinjara District-Chhindwara, Barbaspur District-Seoni, Bija District-Jabalpur, Kathora District Mandleshwar and Melpada District-Jhabua were selected and E-inaugurated. On this occasion, the Community Mediation Centers of Nema & Gond Communities at Jabalpur were also inaugurated by Hon'ble the Chief Justice of India.

This important step will pave the way for settlement of cases in the society in a harmonious and amicable manner. Mediation is a free process, in which no party loses, and the mediation settlement that is agreed & reached by the conflicting parties attains finality.

With the inauguration / opening of Mediation Centers at the tehsil level, disposal of cases in remote locations of the State will be possible through Mediation, which will not resolve disputes and decrease litigation but also creates an environment of harmonious cohesion in society along with saving of time and resources.

The selection of Litigation Free Villages is an important step towards establishing a dispute less society.











Media Coverage



केवो प्रथ अस्वकृत्योत्ये When it seems their is see त्रका (प्राप पंचापत केला प्रीती) this is features you're ut भूतेकारी और क्षाची से विश्वास को एवं फिलाएँ में हुए छाने के

pure at spart with go

Solve the selected is speed writers an arriver face all femediche were trait is amont soft in female un start above, your region क्रम्या को प्रमाणक के महिल्ला के एक्स्मा क्रमाला, तोब रेक प्रतिकाल दिला भागाला अनुने से लेतिक सराय गय तथा समझा सारे की पाल को गई। कर समान करने करने के अपने के अपने की करने की की कि अपने की कि अपने की अपने की अपने की अपने अपने की अपने अपने क जिल्ला समान किया की अपने अपने की अपने अपने अपने अपने अ after aircond the front of mild an mild refers theight among that argument from them the foore, moutht à stere fren; the remove à ut le moute des me extret pres sed trafer. the effects out well to it was a feet the other other uses use on your

धीनक पूर्ण और पेन्से से सामान feine fulle une le feit alle il

NAME OF TAXABLE

शासका क्रिक गया

Anett mie aten aufter anget eine a

શન તતાતા નાગાતા. શ તે ત્યાન તાદ્રતાત ાતતાતાતાતા. ! ત્યાન તાદ્ર माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन घोषणा



ment open passes all that bles do where wellow are that uponly subcast affect the

de Streetstre was able .

प्रतालम सामग्री पत्र र सेवर्ड प्रमुक्त से असीत सेवर प्रता सेतीया जिल विरोध सहाय औरताहर प्रीताह कर । get weeks most then country when then absent, quies of most or freedate while

ता प्रस्त पेट क्लीर _{स्ट्रिंग} प्रीत स्थाप हर्त पूर्व प्रस्ता ता स्थाप there is serger 2020 token due utherset mentry accress, dichter berneiten. Appelle is anaphi d Street street for these and second street, at some particular of some to the affector years? Affect a process of the contract and the contract of th

without the combination worker with person often other from one in the title de ultere dut ju niet & rate drust it me ure

IN the State of the Art and the state of the discount was not some and another destinationed discuss and tree at more than their tree of notes without to the course of the best between the parent, will and with, risk to and form an ability of the course of the total to the course of the cours भारती, चेपारचे जसदा

Transfer up dan b property securities and past securities are securities as after the securities and the

आग बारगाय ।पणारा ।पपाप ।पलग आग बाायरा

अमरवाड़ा, समाज को विवादरहित किए जाने की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्राम पंचायत भाजीपानी के ग्राम चारगांव पिंजारा, जनपद पंचायत अमरवाड़ा को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की विवादविहीन ग्राम योजना के अंतर्गत विवादविहीन ग्राम घोषित किए जाने की ऑनलाइन घोषणा माननीय मुख्य न्यायाधिपरि सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति एस ए बोवडे के द्वारा माननीय संजय यादव कार्यवाहव मुख्य न्यायाधिपति कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर व श्रीमती गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेव प्राधिकरण जबलपुर की गरिमामय उपस्थिति में किया गया । इस अवसर पर चारगां पिजारा में उपस्थित माननीय थी .एस . भदौरिया जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिव सेवा प्राधिकरण, अरविंद्र गोयल अपर जिला न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेव प्राधिकरण छिंदवाड़ा, श्रीमती निशा विश्वकर्मा, श्री अजय करोठिया अपर जिल न्यायाधीश अमरवाड़ा, सुश्री संघ्या मरावी, सुश्री पलक राय न्यायिक मजिस्ट्रेर अमरवाड़ा, दीपक वैद्य एसडीएम अमरवाड़ा, डॉ . संतोष डेहरिया एसडीओपी अमरवाड़ा डीआर उड़के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद अमरवाड़ा, ग्राम सरपंच ब्रजलाट उड़के, सचिव सरनसिंह परतेती, सहायक सचिव श्रीमती उमा वरकडे, रजनीश चीरसिय जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे ।



province of the control of the charge the passeline Spacestaglish wave stellage blood and all appreciate spend straight extent oppositionally used on ourselvent प्रसामुक्ती प्रसाप मान्या के प्रसाम MANGE ALVER SEEM SERVICES APRIL AND ADDRESS AND ADDRES retrief mentiones plantes HOUSEN FIRST DISCONS WHIT SERVICE FOR sourced at adminst telescole tons special edited secrepture expenditures apart engineered remodes mp segment BUTSHIFT OF STREET WHEN I WAS IMPOSED.

when talkings you becomes, throught, di scen medicut sure these improvites assessment, again. भारतात साराती, जीजी वालक सात chant the transfere severett, at अल्लाक केल्पिका प्रशासीतिकी असल्याहर. START SINGLE SPECIFICATION CO.

respire terminal terminal employ soften there theliam when sufficer-e-MADRIES IN SCHOOL SEE STREET, IN which the spare thereon are not pairs in to the second reporter or somethy NAMES AND POSTORIOR SERVING AS NO. Speciment of ours, sall signs of

PRO Jansampark Chhindwara 22 first with - Facebook for Android - Wh

म चारगांव पिजारा को ऑनलाईन घोषित किया गया विवादविहीन

रत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाचिपति न्यायमूर्ति स.ए बोवड़े द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर । ार्यपालक अध्यक्ष च कार्यवाहक मुख्य न्यायाचिपति संजय पादव औ दस्य सचिव श्रीमती गिरिबाला सिंह की उपस्थिति में विवादिविहीन ग्रा जिना के अंतर्गत समाज को विवादरहित किये जाने की परिकल्पना ो साकार करते हुये जिले की जनपद पंचायत अमरवाहा की ग्राम वायत भाजीपानी के ग्राम चारगांव विजास को ऑनलाईन जादविहीन ग्राम घोषित किया गया है । इस अवसर पर ग्राम घारगांव जारा में ज़िला एवं सत्र न्यायाचीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्द्रवाड़ा के अध्यक्ष श्री बी.एस.धदौरिया, अपर जिला न्यायाधीश व रता विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अरविन्द कुमार गोयल औ रेला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया के साथ ही इसील अमरवाहा के न्यायाधीशगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, ग्राम रिगांव विजारा के सरपंच, सचिव और ग्रामीण जन उपस्थित थे। पर जिला न्यापाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संधिव श्री यल ने बताया कि ग्राम में रह रहे लोगों के मध्य विवाद नहीं रहे और दि विवाद हो तो आपसी सुझमुझ व समझौते के आधार पर वैकल्पिव ाधम से उनका निराकरण हो जाये, इसी उद्देश्य को लेकर विवादविही म योजना संचालित की जा रही है और निर्धारित मापदंडों को पूरा रने वाले ऐसे ग्रामी को विवादविहीन ग्राम घोषित किया जाता है। इसे रिप्रेक्ष्य में ग्राम चारगांव विजारा को ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग व चादविहीन ग्राम घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घोजना दे तर्गत प्राधिकरण द्वारा सतत् रूप से ऐसे ग्रामी का चयन करने का पास किया जायेगा जिसमें पिवाद नहीं हो ताकि जिले के ऐसे प्रामी व

1ठदवाड़ा

संप्रभात

ग्राम चारगांव पिंजारा विवादहीन ग्राम घोषित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई ऑनलाइन घोषणा



order moved in one succes from Parts and the reproductions from Stations States in our States and in contrast aftern want me diets tehen men sehet ill: di selec den is all di fembets othe fam the many other months was follow when have follow they advert the

the fact the all observes of team vellous it face that he are a use face; it of the observes in the contract of the contract o with the worst deposit surveys of the cost winds black if all disconnections of sends speeds a small at some all woulder use follow that following the selection forcests the same pull other to the following the and benefit to the lat at ments of a fact the second of the fact that the second of the fact that th of affects come excits the scheme been direct date deline excite direct words from scored and an extension operated them before second schools use subsects to the second at the second schools and second at the second schools and second at the second schools and second schools are second schools and second schools and second schools are secon PRITE WAIL IS DIT WARDS CARE COME AND ADDRESS OF THE PRINCIPLES. THE COME AND THE PRINCIPLES. actives the company of distance. Secondary advanced, this second was an it by the sit yes set

झाबुआ जिले का ग्राम मेलपाडा विवाद विहीन हेतु चरानित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जरिटम ने किया ऑनलाईन शुभारंम

17.10.2020 को शाम 05:00 हते भारत के मुख्य न्यायाधिपति हननीय भी एस. ए. बोबड़ के द्वरा प्रीनलाईन चीडियो कांग्रीसंग के शायम से आयुआ तिले के ग्राम स्तवहा (ग्राम पंचापत गोला छोटी) लासील व विकास खंड प्रावुआ हो मुक्तदमेवानी और प्रगावें से नजात दिलाने एवं कियादों से दूर खने ह अवधारण को सरकार करते हुये प्रॉनलाईन ई -शुभारम करके विवाद वहीन ग्राम पोजना अंतर्गत मेलपाड ाम को चयमित किया गया। ग्राम स्तवाद्य के प्राथमिक विद्यालय के रंगण में ग्रामकसियों के समध हार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक र्वाधकरण जिला न्यायालय ज्ञासुआ क्र द्वारा किया गया। प्रारम्भ में विशेषक सकरता शिक्षिर के माध्यम से हार्यक्रम में उद्योग्धत ग्राम सरपंच, रंचायत संचित्र, आंगनवादी हार्यकर्ता , राजकी स्कृत शिक्षक ग्राम राजमान्य नागरिकगण एवं

इत्युआ। कल दिनांक मूलह-समझौते से विवादों का एवं गांव को विवाद विहोन बनाये रखने के लाभों से परिचत कराया गया तथा शांतिविष एवं सद्भव से सभी ग्रामवासियों के साथ कोई भी प्रगड़ और विवाद करने का सभी ग्रामकांसयों ने संकरम लिया तथा गांव में एवं परिवार में कोई आपसी ज़गढ़ या विवाद होने को स्थित में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यम् से राजीनाम्, मध्यस्थता , खेक अदालत आदि के माध्यम से आपसी समाजस्य और सहपति के आधार पर विकारों का समाधान करने के लिये पहल की गई । ऑनलाईन केरियों कांग्रीसंग के माध्यम से सुग्रीम कोर्ट के चौकलस्टिम माननीय की बोजडे साहब द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जीस्टम माननीय हो संसय चादव साहब एवं सदस्य सीवव महोदया श्रीमती विश्वित्यात्म सिंह जी के साथ ग्राम मेलपाडा को विवाद विहीन

विवाद विहीन हेतु ग्राम मेलपाड़ा का हुआ चयन

मेलपाड़ा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यऋम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ द्वारा किया गया। प्रारंभ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थितजन को आपसी सुलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाईश दीएवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभों से परिचित कराया गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से



सभी ग्रामवासियों के साथ कोई भी ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता,

आधार पर विवादों का समाधान झगड़ा और विवाद करने का सभी करने के लिये पहल की गई। ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के गांव में एवं परिवार में कोई आपसी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ झगड़ा या विवाद होने की स्थिति में जिस्टिस मान. बोबड़े द्वारा जबलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जस्टिस मान, संजय लोक अदालत आदि के माध्यम से यादवएवं सदस्य सचिव गिरिबाला आपसी समांजस्य और सहमति के सिंह के साथ ग्राम मेलपाड़ा को

लगाये गये। कार्यक्रम में प्रमुख रूप कर्मचारीगण उपस्थित थे।

विवाद विहीन चयनित होने से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश परघोषण की गई, जिसका स्वागत कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश सभी ग्रामवासियों के साथ जिला एवं सचिव राजेश देवलिया, अपर जज राजेश कुमार गुप्ता एवं अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण मुख्य न्यायिक मजिस्टेड्ट गौरव राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेक्टगण न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, किया। मेलपाड़ा के स्कूल को अंशुल जैन, अमन सुलिया, प्राकृतिक फुलों और पौधों से अनुविभागीय पुलिस इंडला मौर्य, सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर सब-इंस्पेक्टर गुलाब वर्मा, ग्राम और बोर्ड जिला विधिक सेवा सरपंच, सचिव, तडवी, शिक्षक, प्राधिकरण झाबुआ की ओर से आंनगबाडी कार्यकर्ता एवं अन्य





झाबुआ 19-10-2020

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन की घोषणा ग्राम मेलपाड़ा विवाद विहीन योजना में शामिल, समझौते के तरीके बताएंगे

भास्कर संवाददाता ज्ञाबुआ

ग्राम पंचायत गोली छोटी के ग्राम मेलपाडा का चयन विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत किया गया। मुख्य न्यायाधिपति एसए बोबड़े ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका चयन किया। गांव को मुकदमेबाजी और झगड़ों से निजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने के अवधारणा को साकार करते हुए इसका चयन किया गया।

इसके लिए ग्राम मेलपाड़ा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को आपसी सलह-समझौते से विवादों का समाधान करने की समझाइश दी गई। साथ ही गांव को विवाद विहीन बनाए रखने के फायदों के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जबलपुर उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के कार्यवाह चीफ जस्टिस संजय यादव, सदस्य सचिव



मेलपाड़ा में हुए कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीश।

गिरिबाला सिंह ने मेलपाड़ा को विवाद विहीन चयनित होने की घोषणा की। इस अवसर पर जिला जज राजेश कुमार गुप्ता, अपर जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चैहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, अंशुल जैन, अमन सलिया, एसडीओपी इंडला मीर्य सहित सरपंच, सचिव, तड़वी व ग्रामीण मौजूद थे।

मेलपाडा विवाद विहीन हेतु चयनित सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिम ने किया ऑनलाईन शुभारंम

न्यायाधिपति माननीय श्री एस. ए. बोबडे के द्वारा ऑनलाईन वीडियो कप्रिसिंग के माध्यम से झायुआ पंचायत गोला छोटी) तहसील व विकास खंड झावुआ का मकदमेबाजी और प्रगर्धे से निजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने के अवधारण को सरकार करते हुये ऑनलाईन ई -शुभारम करके विवाद विहोन ग्राम योजना अंतर्गत मेलपाडा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाडा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा किया गया।

उपस्थित ग्राम सरपंच, पंचायत ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा गणमान्य नागरिकगण एवं महिलाओं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तथा बच्चों को आपसी सुलह- माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता ,



इ-राभारम

शिविर के माध्यम से कार्यक्रम में और विवाद करने का सभी कोर्ट के चौफजस्टिम माननीय श्री जिला जज जिला एवं सचिव सचिव, आंगनबाडी कार्यकर्ता , गांव में एवं परिवार में कोई आपसी न्यायालय से मध्यप्रदेश के अन्य उपस्थित न्यायाधीशगण ने तडवी स्कूल शिक्षक ग्राम के झगझ या विवाद होने की स्थिति में कार्यवाह चीफ वस्टिम माननीय ताली बजाकर किया गया। समझौते से विवादों का समाधान लोक अदालत आदि के माध्यम से गिरिवाला सिंह जी के साथ ग्राम विहीन ग्राम के बैनर और बोर्ड करने की समझाईस दी गई एवं गांव आपसी समाजस्य और सहमति के मेलपाड़ा को विवाद विहीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विवाद विद्यीन बनावे रखने के आधार पर विवादों का समाधान चयनित होने पर की घोषण की झाबुआ की ओर से लगाये गये।

ग्रामवासियों के साथ जिला जज बोबडे साहब द्वारा जबलपुर उच्च प्राधिकरण राजेश देवलिया व श्री संजय यादव साहब एवं मेलपाडा के स्कूल को प्राकृतिक सदस्य सचिव महोदया श्रीमती फुलों और पौधों से सजाकर विवाद

झाबुआ जिले का ग्राम मेलपाडा विवा सुप्रीम कोर्ट के वीफ जस्टिम ने किया

सुलह-1

सम्बाधाः

रखने वे

ग्रामवानि

गांव म

झगडा र

जिला 1

आपसी

अगधार

के लिये

श्री बाब

न्यायाल

चोफ उ

महोदया

साथ ग्रा

यादव

आर

झाबुआ। कल दिनांक 17.10.2020 को शाम 05:00 बजे भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री एस. ए. बोबडे के द्वारा ऑनलाईन वीडियो काप्रेसिंग के माध्यम से झाबुआ जिले के ग्राम मेलपाड़ा (ग्राम पंचायत गोला छोटी) तहसील व विकास खंड झाबुआ को मुकदमेबाजी और झगडों से निजात दिलाने एवं विवादों से दूर रहने के अवधारण को सरकार करते हुये ऑनलाईन ई -शुभारम करके विवाद बिहीन ग्राम योजना अंतर्गत मेलपाडा ग्राम को चयनित किया गया। ग्राम मेलपाडा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के द्वारा किया गया। प्रारम्भ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कार्यऋम में उपस्थित ग्राम सरपंच. पंचायत सचित्र, आंगनबाडी कार्यकर्ता , तक्षत्री स्कूल शिक्षक ग्राम के गणमान्य नागरिकगण एवं महिलाओं तथा बच्चों को आपसी

मेलपाडा ग्राम को चयनित किया एवं गां गया। ग्राम मेलपाडा के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में ग्रामवासियों के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन जिला ग्रामकार-विधिक प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ द्वारा किया गया। प्रारंभ में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम लाक ३ से कार्यक्रम में उपस्थितजन को आपसी सुलह-समझौते से विवादी का समाधान करने की समझाईश सुप्रीम व दीएवं गांव को विवाद विहीन बनाये रखने के लाभों से परिचित कराय गया तथा शांतिप्रिय एवं सद्भाव से



झगडा और विवाद करने का सभी करने के लिये पहल की गई ग्रामवासियों ने संकल्प लिया तथा ऑनलाईन वीडियों कांफ्रेसिंग के गांव में एवं परिवार में कोई आपसी माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ झगडा या विवाद होने की स्थिति में जस्टिस मान. बोबडे द्वारा जबलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उच्च न्यायालय से मध्यप्रदेश के माध्यम से राजीनामा, मध्यस्थता, कार्यवाह चीफजस्टिस मान, संजय लोक अदालत आदि के माध्यम से यादवएवं सदस्य सचिव गिरिबाला आपसी समांजस्य और सहमति के सिंह के साथ ग्राम मेलपाड़ा को

विवाद विहीन चयनित होने से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश जज राजेश कुमार गुप्ता एवं अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान न्यायाधीशगण ने ताली बजाकर राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, किया। मेलपाडा के स्कल को अंशल जैन, अमन सलिया, प्राकृतिक फुलों और पौधों से अनुविभागीय पुलिस इंडला मौर्य, और बोर्ड जिला विधिक सेवा सरपंच, सचिव, तडवी, शिक्षक, लगाये गये। कार्यक्रम में प्रमुख रूप कर्मचारीगण उपस्थित थे।

परघोषण की गई, जिसका स्वागत कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश सभी ग्रामवासियों के साथ जिला एवं सचिव राजेश देवलिया, अपर जिला जज एवं सचिव प्राधिकरण मुख्य न्यायिक मजिस्टेड्ट गौरव राजेश देवलिया व अन्य उपस्थित प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेउटगण सजाकर विवाद विहीन ग्राम के बैनर सब-इंस्पेक्टर गुलाब वर्मा, ग्राम प्राधिकरण झाबुआ की ओर से आंनगबाडी कार्यकर्ता एवं अन्य





Mediation

Mediation Awareness Programme





DLSA SEONI





DLSA DATIA

DLSA DATIA

Media Coverage

गांधी जयंती पर जिला न्यायालय में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम

सत्ता सुधार हरदा

गांधी जवंती के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शशीकलॉ चंद्रा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादूर शास्त्री के चित्र पर फूल माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित कर कोविड-19 महामारी के चलते जिला न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश एसके जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय केएन सिंह, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मा. केएस शाक्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह एवं



अधिवक्तागण तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण की उपस्थिति में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया । श्रीमती चंद्रा द्वारा शिविर में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्ता को मध्यस्थता जागरूकता योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर लोगो को जागरूक करना एवं न्यायालय के माध्यम से ऑनलाईन, संचार माध्यमों से मध्यस्थता कार्यवाही पर जोर दिया। सभी को कोरोना महामारी में मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। कार्यक्रम में श्री शाक्य द्वारा मध्यस्थता जागरूकता में उपस्थित अधिवक्ता को इस संबंध में विशेष रूप से बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से न्याबालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर विवाद का अंतिम रूप से निराकरण होता है।

जिला न्यायालय परिसर में किया मध्यस्थता जागरूकता को प्रेरित



हरदा. गांधी जयंती के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशीकला चंद्रा ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलित कर शिविर में उपस्थित न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं को मध्यस्थता जागरूकता योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने एवं न्यायालय में न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद थे।

ऑनलाइन एवं संचार माध्यमों से मध्यस्थता कार्रवाई करने पर जोर दिया। न्यायाधीश केएस शाक्य ने मध्यस्थता जागरूकता शिविर का कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। विवाद का अतिम रूप से निराकरण होता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने मौके पर विशेष न्यायाधीश एसके जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुदुव न्यायालय केएन सिंह, विधिक सहायता अधिकारी अभय अधिवक्तागण सिंह,

गांधी जयंती पर सफाई मित्रों के लिए लगाया गया योजना शिविर

विवादों को हल करने का तरीका है मध्यस्थता



पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

सहारा लिए बिना विवादों को हल करने का एक वैकल्पिक तरीका है। यह एक सरंचित, स्वैच्छिक और संवादात्मक बातचीत प्रक्रिया है जहां एक तटस्थ तृतीय पक्ष विशेष संचार और बातचीत तकनीकों का उपयोग करता है ताकि पक्षकरों को मध्यस्थता का लाभ प्राप्त हो सके। उक्त बात अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया दिनेश कुमार खटीक ने एडीआर भवन में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता शिविर के दौरान कही।

सोमवार को राष्ट्रीय कार्ययोजना अनुसार जिला न्यायाधीश एवं श्रीवास्तव, महेन्द्र सिंह बघेल थे।

विधिक प्राधिकरण सुनीता यादव के दितया. मध्यस्थला अदालतों का मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा एडीआर भवन जिला न्यायालय दतिया में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार खटीक ने शिविर में उपस्थित पैरालीगल वालेंटियर्स को मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। जिससे पक्षकार अपनी बात मध्यस्थ के समक्ष विना किसी वाधा के रख सके। शिविर में सुनील त्यागी, पैरालीगल वालेटियर्स अंकिता

Lok Adalat Programmes

Online Lok Adalat

With a view to resolve disputes of parties, the M.P. SLSA designed formats for conducting e-Lok Adalat. Accordingly, Special Lok Adalats for all matters through online mode was scheduled on 23.10.20 & 31.10.20 at the High Court and Dist. Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken	Number of cases	Settlement	Benefitted	
up	disposed	Amount	persons	
221	147	1,49,06,258	469	

Disposal at Dist. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed 1581	Settlement Amount	Benefitted persons	
5893		27,41,39,751	4013	

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken	Number of cases	Settlement	Benefitted	
up	disposed	Amount	persons	
6114	1728	28,90,46,009	4482	

The nature of matters disposed through online mode was under MACT, NI Act, Civil Disputes and Criminal Compound matters.

Glimpses and Media News of E-Lok Adalat

The Hitavada

Jabalpur City Line | 2020-10-24 | Page-2 ehitavada.com

e-Lok Adalat organised under **State legal Service Authority**

Staff Reporter

E-LOK ADALAT was organised under the guidance of Executive Chairman of State Legal Service Authority, Justice Sanjay Yadav at the High Court and sub-ordinate courts of the District Court, on Friday

it may be noted that due to corona crisis routine work of courts has not been done as usually since months. Therefore, under changed conditions the e. Lok Adalat was conducted through video conferencing.

Division bench was constituted for disposal of motor accident compensation cases at the principal seat labalpur and Indoze bench. The division bench at Jabalpur was headed by Justice. Vijay Kumar Shukla and Advocate Divya Kirti Bohre as member of

Cases related to motor accident compensation were presented during the E Lok Adalat. For the same. Advocates and parties did not have to come to the court.



Litigant's counsel settling issues during the e-Lok Adalat.

cates were communicated for settlement of the cases.

Senior office-bearers of the cases out of total 221 cases were 1,49,06,258 was passed by the passed.

As per the schedule only advodivision bench at the Jabalpur during the e-Lok Adalat.

Similarly, an e-Lok Adalat was also organised at district courts High Court Legal Service and 235 cases out of total 996 cas-Committee informed that 147 es, which were referred to the courts, were settled amicably and settled and award of Rs award of Rs 49.84,759 were

रडीजे ने आपसी समझौते Online Lok Adalat

जिला मुख्यालय पर आयोजित Tehsil Court, अदालत में खंडपीठ क्रमांक-1 के पीठासीन अधिकारी एडीजे सचिन ■ Staff Reporter कुमार घोष ने दो पक्षों के बीच आपर्स बातचीत से राजीनामे में पौने दे

held at Jabalpur, Sehora, Patan

ONLINE permanent and continuous Lok Adalat was organised at District Court Jabalpur, Tehsil Court, Sehora and Patan on Saturday. The Lok Adalat was organised under the guidance of District and Session Judge Navin Kumar Saxena and with the coordination of Secretary Sharad Bhamkar. During the Lok Adalat, cases of motor accident compensation claims were resolved and a total award of Rs 7,06,22,313 was passed. For the resolution of cases, a total of four division benches were constituted and 430 cases pending in the courts were referred and 425 cases were resolved through online mode.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd.

कोरोना आयोजित हो रही ऑनलाइन स्थाई लोक अदालत

46 प्रकरणों का किया गया निराकरण, 94,93,378 रुपए का अवार्ड पारित



हुए ऑनलाइन स्थर्झ एवं निरंतर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शासंक सिंह लोक अञ्चलत का आयोजन किया ने ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक गया। यह आयोजन विपिन कुमार अञ्चलत का कार्य संपादित कराया। लावनिया, सचिव जिला विधिक सेव प्रधिकरण रीव के नेतृत्व में किया गया। जिला न्यायालय **हुए प्रकरण**- ऑक्शहत के साथ-साथ तहसील न्यायालय त्याई एवं निरंतर लोक अवालत के सिरमीर, त्यांधर, मऊगंज एवं इत अधोजन में मेटर क्लेम के 45 हनुमना में भी ऑनलाइन स्थाई एवं प्रकरण, चेक बाउंत के 19 तथ निरंतर लोक अदालत के आयोजन शिविष के वो प्रकरण इत तरह से के लिए खण्डपीडों का गठन किया | कुल 66 प्रकरण विरावदण के लिए जा रहा है। बताया गया है कि रखे गर घे लेकिन इनमें से मेटर किया जा रहा है। जिससे कि कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय लोक न्यायालय में दो खण्डपीठ तथा वलेन के 41, धैक बाउंठ के 4, संक्रमण से अधिक से अधिक अदालत का आयोजन नहीं हो प्रथा। तहसील न्यायालय में कुल सात. तिथिन के 1 प्रकरणें का विटाकरण कोरोना संक्रमण के चलते न्यायालय अचाव हो सके। बताया गया है कि विगत जुलाई माह से पुनः ऑनालाइन खण्डपीठ बनाई गई हैं। इस तरह किया गया हजा हें ते 233 लोगों द्वारा पूर्व से आयोजित राष्ट्रीय इस तरह की लोक अदालत विगत लोक अदालत का आयोजन किया से पूरे जिले में कुल में खण्डपेट को लामन्वित किया गया जिनले 31 अक्टबर को आयोजित की गई। जा रहा है। इसी कती में मध्य प्रदेश - ऑनलइन स्थाई एवं निरंतर लोक - 9493378 रुपर का अवार्ड परिल

सिंह के मार्गदर्शन में शासन की सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राजीह समस्त गाइड लप्टन का पालन करते. एवं खण्डपीठ क्र. 2 में न्यापिक

9,493,378 राशि के अवार्ड पारित

ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में 46 प्रकरणों का निराकरण

रीवा स्टार समाचार

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कमार सिंह के मार्गदर्शन में विधिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में कोरोना संबंधी शासन की समस्त गाईडलाईन का पालन करते हुए ऑनलाइन स्वाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गवा। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभव कुमार मिल्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता



सिरमीर, त्वींधर, मऊर्गज एव हनुमना में भी ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत हेतु खंडपीठों का गठन किया जाता है। रीख न्यायालय में दो खंडपीठें एवं तहसील न्यायालयों में कुल 7 खंडपीठे इस तरह से संपूर्ण जिला है। जिस हेतु रीवा न्यायालय के न्यायालय रीवा में कुल 9 खंडपीठ

रीवा न्यायालय में खंडपीठ क्रमांक 1 में अपर जिला सत्र न्वायाधीश सुधीर सिंह राठौड एवं खंडपीठ क्रमांक 2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम क्षेणी शंशाक सिंह ने ऑनलाइन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का कार्य संपादित किया। उक्त विशेष लोक अदालत में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गवा इस तरह ऑनलाईन स्वाई एवं निरंतर लोक

अदालत के लिए गठित की गई थी।

अदालत में मोटर क्लेम के 41 प्रकरण निराकृत हुये और 887 1500 रुपए की समझौता राशि के आदेश पारित किए गए और 224 व्यक्ति लाभावित हुये एवं 1 सिविल प्रकरण, 4 चेंक बांउस प्रकरण समेत कुल 46 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलाह समाइरीते से किया गया एवं कुल समझौता राशि 9,493,378 के आदेश पारित किए

धकरण की प्रकृति	रखे मर प्रकरमी की संस्था	विश्वकृत प्रकरणी की संख्या	लामाजित व्यक्ति	तबझीवा तथि
मोटर क्लेम	45	41	224	8871500
चेक बाउंस प्रकरण	19	04	06	621878
सिवित प्रकरण	02	1	03	
ger	66	46	233	9,493,378

Success Story

DLSA JABALPUR


Application of Mr. Sijo Fran resident R-17, Shakti Nagar, Ward No. behind Jain Temple. 18, 866 / J. Jabalpur was forwarded by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur to District Legal Services Authority for providing legal aid. The said case was directed for redressal through a public utility services lok adalat. The said case has been registered in the public utility services lok adalat. The mobile number given in the application of the applicant Sijo Fran was approached, his problem was heard and he was given proper legal advice. Due to which he was satisfied and by working on the advice of him, he solved his problem and on being resolved, the applicant thanked the District Authority. He was convinced by the District Legal Services Authority, Jabalpur, that if he needs any kind of legal assistance or advice in future, then the District Legal Services Authority is always committed to help.

Reaching out to our Jail Inmates Jail Inspection

DLSA BHOPAL

The Secretary of this authority has inspected the Central Jail, Bhopal on 13th October, 20. Approx. 75 Jail inmates including 16 inmates who had sought legal aid discussed their respective problems. The authority will do the resolutions thereof. The jail authority is following the prescribed protocol during Covid-19 in Central Jail, Bhopal.

d-19 in Central Jail, Bhopal.
Virtual Meeting and telephonic conversation are





जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा जिला जेल झाबुआ में महिला बंदियों के लिए ऑनलाईन वर्जुअल लीगल लिटरेसी कैम्प "Accessing Justice For Women Inmates and their Accompanying Children in Prison" का दिनांक 13.10.2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा महिला जेल बंदियों के लिए "Special Online Virtual Legal Assistance Camp" का

आयोजन किया गया। Video Conferencing के माध्यम से न्यायाधीशगण द्वारा जेल झाबुआ की सभी महिला बंदियों से वकील पैरवी, आहार, उपचार, साफ—सफाई व अन्य सभी आवश्यक बिन्दुओं पर पूछताछ की गई, महिला बंदियों को उनके अधिकार, विधिक सहायता एवं सलाह की जानकारी, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता, आदि की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कान्नी जानकारियां दी गई।

उक्त Video Conferencing विधिक साक्षरता शिविर में अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहें।

Video Conferencing विधिक साक्षरता शिविर में 15 महिला बंदी ऑनलाईन माध्यम से जुड़कर उपस्थित रहीं।







DLSA BHIND



DLSA DHAR

जेल में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

बंदियों को बताए विधिक अधिकार



हरदा, देशबन्ध्। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के,एस.शाक्य एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह एवं जेलर एम एस रावत कि उपस्थिति में जिला जेल हरदा में कोविड-19 के चलते शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डॉ अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का mega and, squ and, st. 9826847739

पालन करते हुये विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल का निरीक्षण किया गया।

जेल में निरुद्ध बंदियों को

शेष

नि:शुल्क विधिक सहापता योजना के बारे में तथा जेल चेंदियों को प्लीबारगेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया एवं केदियों की समस्याओं को सुनकर उनको समझाईश दी । जेल में निरूद्ध व्यक्तियों की रिमाण्ड कार्यवाही से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा अधिवका नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी । विचाराधीन बॉदयॉ में जिनके अधिवक्ता पैरवी नहीं करते

उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ता नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही विधिक सहायता प्रदान को गयी तथा बंदियों के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। वहीं बताया गया कि विधिक सहायता हर हाल में जरूरतमंद व्यक्ति को मिलनी चाहिये। विधिक सहायता से कोई भी बंदी वंचित न रहे ।

जिला जेल हरदा में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

reproduction and arrived from follow shot प्रतिकारण तरदा प्राणीकाना चांदा के संगीदार्गन में me offers them follow that software ever ik. szas szowie szaf finnis Pafsasi augusz अर्थिकारी अन्यव सिंह की उपस्थित में एवं जेलर एव.एव. रावत कि उपनित्रति में जिला जेल तरहा में श्रीविधा-10 के चलते शासन हाता Dealthic removal propert altered feedbloo we were were git, fullow women fedler. एवं जेल का निर्माधन किया गया। जेल में निसन्द बरियों को नि शुल्क विभिन्न गतायत योजना के आरे में प्रधा जेल ब्रेटियों की प्रतिबारचेर्डिंग के नहीं में प्रिम्तार से नवाधा गय एथं कैंद्रीयों की प्रमध्याओं को सुनकर उनको पानवादीश दी तथ्य जिला में निमन्द्र व्यक्तियों की friend account in the Linear Labour Green udiouses area area selectual fingue such शक्ती जनकारी की नवीं तस्य विश्वासकीत भारियों में जिल्लोर अधिकारता पैरची नहीं करते.



soll follows done sufficient of solle in from adverse Regio Reit and its feitten New गमा गुन्न निर्मापक राज्याचल प्राट्यान की नहीं लख

ज्ञानकारी दी सभी एवं अलाज रामा कि विशेषक सहायक हर हरत में जरूरकमंद नहींग करे finedt vafelt; Siften: eneren 4t old slt

रुख निर्वाचन पर्वाधकारी नवर्षालय की

में मतवान से पूर्व इलक्ट्रानिक जोटर



बंदियो को बताए विधिक अधिकार

जिला जेल में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

शरदा, (निप्र) (जिल्हा एवं पाप > त्यायाधीश तथा - पैत्योवी की समस्याओं की सनकर जनकी समाप्राधीश अभ्यक्ष जिला विधिक रेत्वा प्राधिकरण हरता बीमती बासीकाला चांद्र के मार्गतकोन में तथा सचिव जिल्हा विचिक् सेवा प्राधिकरण हरदा श्री के.एस.शाक्य एवं जिला विधिक स्तापता अधिकारी की अभय सिंह की उपस्थिति में एवं जेलर भी एम.एस. रावत कि उपस्थित में जिला जेल हरता में कोविड-19 के चलते शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डी अनुसार बोक्शन दिन ?टिबिंग का पालन करते हुने, विधिक साधरता शिविद एवं जेल कर निरोधण किया गया। then if foreign affects wit for some furtions

ती तथा जेल में निरूद व्यक्तियों को रिमाण्ड wordsouth it all flower forfeast from sufficiences acree द्वारा अधियक्ता नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी तथा विधाराधीन बहियों में जिनके अधिवस्ता पैरबी नहीं करने, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण की और से पैनान अधियका नियुक्त किये आने हेत् निर्देशित किया गया एवं विधिक सहायता प्रदान की गंगी तथा भवियों के अधिकार के भारे में विश्वार से जानकारी दी गयी एवं चताया गया कि विधिक



जिला जेल हरदा में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

हरदा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण हरदा के. एस. शाक्य एवं विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह की उपस्थिति में एवं जेलर

एम.एस.रावत कि उपस्थिति में जिला जेल हरदा में कोविड-19 के चलते शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये,

विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल का निरीक्षण किया गया.

जेल में निरूद्ध बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में तथा जेल बंदियों को

बंदियों को बताये विधिक अधिकार

बारे में विस्तार से बताया गया केदियो समस्याओ

प्लीबारगेनिंग के

सुनकर उनको समझाईश दी तथा जेल में निरूद्ध व्यक्तियों की रिमाण्ड कार्यवाही से ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी.

Online Training and Webinar Online Dispute Resolution

"Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Jain Community"

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Jain

Community in eight districts.

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and



thereby settle the conflicts at grass root level.

The topics of the programme will include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe- Judge Mediator/ Potential Trainer. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.



The Community Mediation Programme shall be implemented in each district by the District Legal Services Authority while M.P. State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.

Online Dispute Resolution "Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Kayasth Community"

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Kayasth Community in eight districts. **TheHitavada**

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level.

The topics of the programme will include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe- Judge Mediator & Trainers. confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

Jabalpur City Line | 2020-10-23 | Page- 2

MPSLSA holds online mediation programme

The Madhya Pradesh State Legal Services Authority organas many as eight districts. The programme was conducted under the guidance of Justice Sanjay Yadav, Executive Chairman, MPSLSA.

The online programme was conducted for districts including Gwalior, Guna, Bhind, Muraina, Shivpuri and other. It was organised for Kayasth community from October 13 to October 22. Giribala Singh, Member Secretary, MPSLSA and Rajiv Karmhe, Registrar MPSLSA administered training to the participants. Speaking on the occasion they said it is a very important step towards encouraging access to mediation. Mediation is an important alternate dispute resolution mechanism. Earlier confined to the offices of the


Legal Services Institutions it will teers trained to resolve dispute ised a 20-hour online commu- within the society and thereby nity mediation programme for settle the conflicts at grass root

> Singh said the topics of the programme include psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements etc. She said the confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win for-

> She said the community mediation programme would be implemented in each district by the District Legal Service Authority while the MP State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to community mediation vol-

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

The Community Mediation Programme shall be implemented in each district by the District Legal Services Authority while M.P. State Legal Services Authority will provide trainers to impart training to Community Mediation Volunteers.




Conducting Online and offline Training Programme for Panel Advocates & PLV by DLSA





DLSA SHAHDOL






DLSA SHAHDOL







DLSA JHABUA





DLSA CHHATARPUR

Outreach Activities under Panch "J"

Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J" i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a largely tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

- (a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.
- (b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.



DLSA CHHATARPUR




DLSA JHABUA

Celebrating Senior Citizen Day

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 2020 के अवसर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस संस्था ग्वालियर के द्वारा लाईव (ऑनलाईन) वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना-2016 के अंतर्गत जिला प्राधिकरण झाबुआ एवं ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया

उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से नालसा (विरिष्ठ नागिरकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना—2016 अंतर्गत वृद्धजनों को विधिक सहायता एवं सलाह तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई, विरिष्ठ नागिरकों को भरण—पोषण, माता—पिता कल्याण अधिनियम 2007, घरेलू हिंसा से वृद्धजनों का संरक्षण, समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन आदि की विस्तार से जानकारी दी, सदस्य सचिव ने वृद्धजनों को खुश रखने और उनकी सेवा व सहायता करने की सभी से अपील की। गेस्ट लेक्चर के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ ने भी अपने संबोधन में वृद्धजनों को सालसा एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों को समझाया तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से वृद्धजनों को लाभांवित करने के संबंध में बताया। कार्यकम का संचालन डाॅ. कृष्णा सिंह एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर ने किया। गेस्ट लेक्चर डालसा ग्वालियर सचिव ने भी वृद्धजनों के अधिकार एवं उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। श्री अशोक शर्मा



हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब, आनंद विभाग अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर करेगा लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन

म्बास्त्वरः। जिला विकित सेवा प्राचित्ररण के तावाधान में तिमानस एंड आवेशरनेस पिशन करण, आरंड विकार के सार्थाय से अंतराष्ट्रीय युद्ध दिवस । अक्टूबर मुख्यर को शाम 5 कते मुद्दूब चैनल पर एक लाइव विविध विकार की आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अर्थिय के रूप में मध्यप्रदेश राज्य विविध सेवा प्राधिकरण जकरपूर से सदस्य सांचय जिला जावधारीश विरिध सेवा प्राधिकरण जकरपूर से सदस्य सांचय जिला जावधारीश विरिध सेवा प्राधिकर सेवार वीजन 2016 के संबंध में जारकारों से जाएगी। प्रापु का जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सांचय प्राधिक रेवार वेपलिया व जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सांचय प्राधिक सेवा प्राधिकरण के सांचय प्राधिक सेवा प्राधिकरण के सांचय प्राधिक अर्थन देशिय के साम में आरंड संस्थान के जिला समानयक इंजीन्सक शर्मा विरुद्ध के सांच के अर्थन जीएसएन में इस्तिया नहीं । कार्यक्रम का संच्यान में सांच्या के अर्थन जीएसएन में इस्तियालय में दिर्घ विचार की एसोसएट प्रेरेक्सर थ प्रियान आरंड काल सांचय की अर्थन के आरंब मार्थ करण सेवान की अर्थन की सांच्यान की अर्थन की सांच्यान की अर्थन की सांचय की अर्थन में सांच्यान की अर्थन की अर्थन की सांच्यान की अर्थन की अर्थन की सांच्यान काम की अर्थन की सांच्यान की सांच्यान की अर्थन की सांच्यान की अर्थन की सांच्यान की अर्थन की सांच्यान क

अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर ने उनकी संस्था द्वारा वृद्धजनों के हितो की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे डे केयर सेंटर, निःशुल्क नत्र उपचार शिविर आदि के बारे में बताया। श्री जी.एस.एल गौण सेवानिवृत्त अधिकारी महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर ने भी वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दिये जाने के संबंध में संबोधन दिया। उक्त वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम में यूट्यूब के माध्यम से लगभग 300 व्यक्तिों द्वारा यूट्यूब चैनल से देखकर प्रत्यक्ष रूप से लांभावित हुये।

वृद्धों की सहायता के लिये है विधिक सेवाः जिला न्यायाधीश

श्रीरामण्यसप्रेस, गवालियर

वृद्धां की स्वास्त्य, घरण-घोषण,विधिक आदि हर तरह की सहायत के लिये विधिक सेवा सर्देव तरपर है। यह बात रूजा विधिक सेवा प्रधिकरण की सदस्य सर्विव जिला न्यायधील गिरिवाल सिंह ने हैमोनेस एंड अकेवरनेस मित्रन के यूद्यूब चैनल पर आवेशित वेविनार में कहाँ। उन्होंने प्रदेत के वृद्धा आक्रम व केवर सेंदर में एक स्ट्राव-शिकायत पेटी लगाने व वृद्धान की मदद के लिये पोएलवी नियुक्त करने की बात कहाँ। इस चैक्निर वा आयोजन जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के तत्वाधान में हैप्योनेस एंड अकेवरनेस मित्रन कलब, आनंद विधाग के सहयोग से अंतर्वाच्च वृद्ध दिवस पर किया गया। हास्तुआ जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के सर्विव एडी में राजेश देवलिया ने नालसा विधिक सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ जनों को अपने बच्चों से घरण-पोषण लेने का पूर्व अधिकार



मेदसाल नहीं किया जा सकता। एसडीएम कोर्ट में बुद्धजन इसके लिये आवेदन कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्रधिकरण ग्वालियर के सचिव एडीने अतुरात सिंह ने ऋश कि राष्ट्रिय वरिस्ट जन नेति, 1999 में वरिष्ठजन की सम्मानित व्यक्ति चोचित किया गया है। पदि कोई वरिष्ठजन प्रतादित है तो वह जिला कोर्ट भवन रिश्वत विधिक सेवा के कार्यालय में अरावेदन कर सकता है। कार्यक्रम में आंतिंध के रूप में वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा तुकान, आगाह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गोड़ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शासकीय केआरजी महाविद्यालय में तिदी विधाग की एसोसिएट प्रोफेसर व सिशन आनंद कलब सचिव कृष्णा सिरंत व आधार जीवाजी यूनिवर्सिटी में भाषा विभाग की अस्तिस्टेंट प्रेपेस्सर ज्वाल्का सिंह ने किया। कार्यक्रम में ख्यागत भाषण तैणीनेस एंड अवेपरनेस मिजन आंनद क्लब के प्रेरक आनंदक पीएलची अंशुपान शर्मा ने दिया।



DLSA GWALIOR

On the occasion of International Senior Citizen's Day secretary DLSA Gwalior along with staff members and PLV visited Narayana senior citizen Ashram at Gwalior. Ashram was run by Smt. Maya Garg, trustee of the trust formed by her husband. Donations in the form of food grains, vegetables & fruits were received from the people. There were 40 senior citizens in the Ashram. Secretary DLSA personally interacted with the senior citizens, it came to his knowledge that many of the old people were from well-to-do families of Gwalior. They have mainly left their homes due to family feuds. They were made aware of the provisions of legal aid to senior citizens and provisions of maintenance and welfare act of senior citizens. On being persuaded the senior citizens refused to initiate any proceedings for maintenance and for their own property against their legal heirs. It was their submission that eventually the property will go to their legal heirs, hence there is no need of litigation and they were happy with the other inmates of the Ashram. Plv Anshuman Sharma was deputed with the Ashram, in case if any of the inmates or other person visiting the Ashram wishes to initiate any proceedings in the court of law. The administration of the Ashram accepted our request to put a sign board displaying the provisions of maintenance and welfare act in their premises, which will be shortly prepared and handed over to them. Some of the senior citizens were not able to get costly medicines for the treatment, for which on being assured one of the senior citizen gave his medical prescription, to whom the medicines were made available immediately from the market. The senior citizens were assured of all the help in case of any need*







DLSA GWALIOR & JHABUA

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 2020 के अवसर पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस संस्था ग्वालियर के द्वारा लाईव (ऑनलाईन) वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना—2016 अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता गिरिबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना—2016 अंतर्गत वृद्धजनों को विधिक

सहायता एवं सलाह तथा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई, वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण, माता-पिता कल्याण अधिनियम 2009, घरेलू हिंसा से वृद्धजनों का संरक्षण, समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन आदि की विस्तार से जानकारी दी, सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण द्वारा वृद्धजनों को खुश रखने और उनकी सेवा व सहायता करने की सभी से अपील की। गेस्ट लेक्चर के रूप में श्री राजेश देवलिया अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ ने भी अपने संबोधन में वृद्धजनों कोसालसा एवं नालसा द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों की जन कल्याणकारी योजनाओं समझाया तथा शासन वृद्धजनों को लाभांवित करने के संबंध में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कृष्णा सिंह एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) के.आर.जी. कॉलेज ग्वालियर ने किया। गेस्ट लेक्चर डालसा ग्वालियर सचिव श्री ऋतुराज सिंह ने भी वृद्धजनों के अधिकार एवं उन्हें

वृद्धों की हर तरह की सहायता के लिये है विधिक सेवाः गिरिबाला सिंह

वृद्धों की स्वास्थ्य, भरण, पोषण, विधिक आदि हर तरह की सहायता के लिये विधिक सेवा सदैय तत्पर है। यह बात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जिला स्वायाधीश गिरिबाला सिंह ने हैप्पीनेस एड अवेयरनेस मिशन के गृह्यूब चैनल पर आयोजित वेविनार में कही। उन्होंने



पदश के वृद्धा आश्रम व केयर सेंटर में एक रमुझाव शिकायत पेटी लगाने व वृद्ध जन की मदद के लिये पीएलवी नियुक्त करने की बात कही। इस वेबिनार का आयोजन जिला विधिक सेंगा प्राधिकरण के सरवाधान में हैंच्योंनेस एड अवेयरनेस मिशन क्लब आनंद विभाग के

सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर किया गया। झाबुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया ने नालसा विधिक सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिस्ट जनों को अपने बरहों से भरण, पोषण लेने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्हें कमणोर समझ कर उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। एसडीएम कोर्ट में युद्ध जन इसके लिये आवेदन कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर के रहिंच एडीजे ऋतुराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय वरिस्ट जन नीति, 1999 में बरिस्ट, जन को सम्मानित व्यक्ति पोषित किया गया है। यदि कोई वरिष्ठ, जन प्रताहित है, तो यह जिला कोर्ट भवन रिचल विधिक सेवा के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वरिस्ट नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा तूकान, अग्वह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गौड़ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संधालन शासकीय के आरजी महाविध्वलय में हिंदी विभाग की एसोसिएट पोफेसर व मिशन आनंद क्लब सर्विय कृष्ण सिंह व आभार जीवाजी यूनिवर्सिटी में भाषा विभाग की अस्मित सेवा संस्थान कार्यक्रम के अस्मित भाषा है प्योनेश एंड अवेयरनेस मिशन आनंद क्लब के प्रेरक आनंदक पीएलवी अंशुमान शर्मा ने दिया।

मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया। श्री अशोक भार्मा तूफान अध्यक्ष विरिश्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर ने उनकी संस्था द्वारा वृद्धजनों के हितो की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे डे केयर सेंटर, निःशुल्क नेत्र उपचार शिविर आदि के बारे में बताया। श्री जी.एस.एल गौण सेवानिवृत्त अधिकारी महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर ने भी विरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान दिये जाने के संबंध में संबोधन दिया। कार्यक्रम संयोजक श्री अंशुमन भार्मा मानव अधिकार आयोग मित्र एवं अध्यक्ष हैप्पीनेस अवेयरनेस मिशन आंनद क्लब ग्वालियर के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया एवं संस्था के कियाकलापों के बारे म जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं दर्शकों का आभार डॉ. ज्योत्सना सिंह राजावत सहायक प्रोफेसर (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ने व्यक्त किया।झाबुआ एवं ग्वालियर जिले तथा मध्यप्रदेश के अनेक जिलों एवं अन्य प्रांतों जैसे उत्तरप्रदेश के झांसी शहर, कानपुर, बनारस व अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम को ऑनलाईन यूट्यूब चैनल से अत्याधिक देखा और सुना गया।

उक्त वेबीनार जागरूकता कार्यक्रम में यूट्यूब के माध्यम से आज दिनांक तक लगभग 300 व्यक्तिों द्वारा यूट्यूब चैनल से देखकर प्रत्यक्ष रूप से लांभावित ह्ये।

वृद्धों की सहायता के लिये है विधिक सेवाः जिला न्यायाधीश

बीरामाप्यसप्रेस, नवालियर

स्द्वीं की स्वास्थ्य, परण-पोषण, विधिक आदि हर सरह की सहायता के लिये विधिक सेवा सदैव तत्पर है। यह बात रून विधिक सेवा प्रधिकरण की सदस्य सचिव नित्ता न्यावधील विधिक सेवा प्रधिकरण की सदस्य सचिव नित्ता न्यावधील विधिक सेवा पर आयोजित वेक्निर में कहीं। इन्होंने प्रदेश के युद्ध जावम व केयर सेंदर में एक सुझाव-शिकायत पेटी लगाने व युद्ध वन की मदद के लिये पीएलवी नियुक्त करने की बात कहीं। इस वेक्निर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के तत्वाधान में हैणोनेस एंड अवेयरनेस मिशन कलब, आनंद विधाण के सहयोग से अंतवहीय युद्ध दिवस पर किया गया। झाबुआ नित्ता विधिक सेवा प्रधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया ने नालसा विधिक सेवाएं योजना 2016 के सांबंध में जानकारों थी। उन्होंने बताया कि वरिष्ट जन्में को आपने बच्चों से धरध-पोषण लेने का पूर्व अधिकार



बेदखल नहीं किया जा सकता। एसडीएम कोर्ट में बुद्धतन इसके लिए आयेदन कर सकते हैं। जिला विधिक रोवा प्रधिकरण स्वालियर के सच्चित्र एसेजे अस्तुबान सिंह ने कता कि राष्ट्रिय वरिस्ट जन नेति, 1999 में वरिष्ठावन को सम्मानित व्यक्ति योपित किया गया है। यदि कोई वरिश्वतन प्रताहित है तो यह जिल्हा कोर्ट भवन विश्वत विश्विक रोजा के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। कार्यक्रम में अस्तिव के रूप में चरिप्त नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा तुपतन, आगत संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गीड आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संध्यालन शासकीय केआरशी महाविद्यालय में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर व विशान आनंद क्सक सचिव कृष्णा सिंह व आधार जीवाजी युनिवर्सिटी में भाषा विभाग की असिस्टेंट फ्रेफेसर ज्योतका सिंह ने किया। कार्यक्रम में स्थापत भाषण हैणीनेस ए'ड अवेपरनेस पिशन आंनद क्लब के प्रेरक आनंदक पीएलबी अंशुमान शर्मा ने दिया।



Awareness programme organized under the NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016 on the occasion of Senior Citizen day



DLSA BHIND



DLSA DATIA



DLSA ANUPPUR



DLSA BETUL



DLSA HARDA









DLSA SEONI



DLSA SHIVPURI



DLSA DATIA



DLSA NEEMUCH




Health Cheakup Camp - DLSA Mandla

Media Coverage







हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब, आनंद विभाग अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर करेगा लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन

ग्वालियर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन वलब,आनंद विभाग के सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर गुरुवार को शाम 5 बजे यूट्यूब चैनल पर एक लाइव विधिक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह उपस्थित रहेंगी। शिविर में वरिस्ठ नागरिकों के लिये नालसा विधिक सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी जाएगी। झाबुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर के सचिव एडीजे ऋतुराज सिंह विषय पर गेस्ट लेक्कर देंगे। इसमें अतिथि के रूप में आनंद संस्थान के जिला समन्वयक इंजीण्एके शर्माए वरिस्ठ नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा तुफान, आगाह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गौड़ उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन शासकीय केआरजी महाविद्यालय में हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर व मिशन आनंद क्लव सचिव कृष्णा सिंह व आभार जीवाजी यूनिवर्सिटी में भाषा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योत्स्ना सिंह करेंगी। कार्यक्रम में स्वागत भाषण हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब के अध्यक्ष अंशुमान शर्मा की ओर से दिया जाएगा।

की हर तरह की सहायता के लिए है विधिक सेवा

लेयर,न.सं.। वृद्धों की स्वास्थ्य,भरण-पोषण,विधिक आदि हर सहायता के लिए विधिक सेवा सदैव तत्पर है। यह बात राज्य सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश गिरिबाला हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन के यूट्यूब चैनल पर आयोजित में कही। उन्होंने प्रदेश के वृद्धा आश्रम व केयर सेंटर में एक शकायत पेटी लगाने व वृद्ध-जन की मदद के लिये पीएलवी हरने की बात कही। इस वेबिनार का आयोजन जिला विधिक सेवा ण के तत्वावधान में हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन क्लब,आनंद र्म सहयोग से अंतराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर किया गया। झाबुआ जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे राजेश देवलिया ने नालसा सेवाएं योजना 2016 के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम में के रूप में वरिस्ट नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक शर्मा आगाह संस्था के अध्यक्ष जीएसएल गौड़ आदि उपस्थित रहे। का संचालन शासकीय केआरजी महाविद्यालय में हिंदी विभाग सिएट प्रोफेसर कृष्णा सिंह व आभार जीवाजी विवि में भाषा की सहायक प्राध्यापक ज्योत्सना सिंह ने किया। कार्यक्रम में भाषण अंशुमान शर्मा ने दिया।

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धा आश्रम रपटाघाट में विधिक जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया



मीसला । बुद्धालन दिवस घर बुद्धों का स्वास्थ्य शिविस प्रशिक्षण किया राजा । 🌞 नईसुनिका

भंडरका (वर्ड्युनिया प्रतिनिधि)।
मध्यप्रवेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जवलपुर के निवेशानुसम जिला एवं सव न्यायाधीश उपस्था वाणीय के निवेशन में एवं प्रकार करोर सच्चित, उरण जिला न्यायाधीश के मार्गवर्शन में गुरूवार को अंतर्राष्ट्रीय प्रदानन विवस के अवसर पर प्रदा आक्षम रपटाबाट मंडला में विधिक जगरकार स्वारण परीक्षण शिविर का अयोक्स किया गया।

व्यास्त्र परीक्षण जिल्हा में स्तरी पुद्धणनों कर स्वास्त्र्य परीक्षण किया गया। शिविर में विजय कुम्मर खोजागड़े किया विध्वित स्थापण उन्चित्रस्य, उपयुर्वेदिक डॉ रिक्ट्र प्रथाप सिंह, डॉ डोटा भाई कडावास, डॉ मीरण क्षेप्टा, सूबी जमूना गरावी उन्धीक्तिक कुद्धा उन्नक्ष्म रपटाबाट एवं किया विधिक शेवा आधिकरण के कर्मचारीगण की उपस्थिति में शारीरिक तूरी कर पालन करते गुप य कोरोना महामाधि से प्रधाय हेतु समी मानकों को पालन करते हुए

विजय कुमार खोद्रागडे जिला विधिक समायता अधिकारी ने बताया कि स्थयं अधना भरण घोषण करने में असरमध्ये माता-पिता जा भरण -पोषण करना प्रचीन काल से ही पुत्रों कर वायित्व याना गया है। घरण पोपण अविजनियम के तहत यति माता-पिता अपनी अग्रम अस्त्रका अस्य ग्रांपत्ति में स्वामं अपना भरण-पोपण बनने में असमध्ये हों तो चुद्ध अववचा असवत माता पिता अवपने पुत और पुत्री से भरण-पोपण प्राप्त करने के शाक्यार है। साथ ही विधिक सहायश एवं सानाल योजना एवं मलिना सांगानिकन्त्रण को परिभाषित करते सुए महिलाओं को सञ्चल बनने के रास्ते सुझाए साथ गहिला एवं पातल स्ट्राला इक्टई योजना, नप्र अपराच पीडित प्रतिकर योजना की विस्तृत जनकारी प्रधान कर ते हुए बलाया कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साध कीने एवं समान काय हो त्याच ध्राप्त जारने जा अधिकार है जे संबंध में जानकारी है।

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया

बैतृत अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतृल के सचिव मनोज मंडलोई के निर्देशन पर गुरुवार को उड़दन में जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथलेश डेहरिया के साथ सभी बुजुर्गों से मुलाकात कर दिवस की वधाई दी और विधिक शिविर का आयोजन किया। पैरालीगल वालेंटियर शिखा भौरासे, अमित सबसेना ने उनकी समस्या सुनी और उसके निराकरण के लिए आगामी समय में उचित कार्रवाई करने के लिए कार्यालय में आवेदन किया। ताकि वो सारे हक और अधिकार उन्हें मिल सकें, जिसके वे पात्र हैं।

वृद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम: एडीजे

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने डे- केयर पर मनाया अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस



जिला न्यायालय नीमच, नालसा वरिप्त नागरिको के लिए विधिक सेवाए योजना 2016 के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदेश श्री के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे श्री संजय जी जैन के निर्देशन में डे-केयर सेन्टर पर अंतरराष्ट्रीय चुद्ध दिवस मनाया गया।

इस दौरान श्री संजय जैन ने कहा कि बुजुर्गों की मेहनत, मार्गदर्शन और आशीबांद के कारण ही हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उम्र के इस पदाय पर बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं। कल्याण विभाग साठ वर्ष से अधिक की आयु के नागरिक को सीनियर सिटीजन काई प्रदान करता है। यह काई बुजुर्गों के लिए काफी सुविधाजनक साबित हो सकता है, बर्गोंकि इसके माध्यम से उन्हें कई विशेष सुविधाएं मिलती हैं। बुजुर्गों की सुविधा के लिए सरकार है केयर सेंटर भी स्थापित कर रही है।

साथ ही बताया कि समाज और नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाने और उसे मार्गदर्शन के लिए बरिप्त नागरिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में बुजुर्गे दिवस मनाने का फैसला किया था। आज का बुद्ध, समाज से कटा रहता है और सामान्यत-इस वाल से अधिक बुन्धी है कि, जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को कोई महत्व देता है। वृद्ध समाज को इस दृश्य और कार से खुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरुरत है।

आज के युग में खुजुर्गों की सबसे बढ़ी समस्या उनका अकेलापन है। हमें परिवार व समाज में उनके लिए पर्याप्त समय अवश्य निकालना ऋहिए। भारत में भी चुद्धों की सेवा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों के आरोग्यता और कल्याण को बढ़ाबा देने के लिए वर्ष 1999 में वृद्ध सदस्यों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयं के लिए तथा उनके पति या पत्नी के बुदापे के लिए व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित करना इसमें परिवारों की अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों की देखभाश करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक संसद में पारित किया गया है। इसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धात्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का

प्रावधान किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अखबारों और समाचारों की सुखियों में वृद्धों की हत्या और लूटमार की घटनाएं देखने को मिल ही जाती है। वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि जुद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजर अंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर ही जाएंगे जो इन लोगों के पास है। इस दौरान बीए एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी सुविधि जैन ने भी बुजुर्गों से सम्भदित कानून और अधिकारों की व बुजुर्गों के कल्याण के लिए जलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और इनका लाभ उठाने की अपील की।

Celebrating Gandhi Jayanti

DLSA ANUPPUR

On 02-10-20 Arbitration awareness program organized on the occasion of Gandhi Jayanti. Program held in the office of District Legal Services Authority. Trained mediators, Panel advocates and other members of Bar Association were present in the program. They were motivated to settle the case through mediation. There were 32 people in attendance at the event. Camp was organized following social distancing.





DLSA BALAGHAT





Awareness programme through Banners & Posters under the NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015 on the occasion of Gandhi Jayanti



Mediation Awareness Programme on the occasion of Gandhi Jayanti





DLSA JHABUA

DLSA SHAHDOL



DLSA DATIA





Awareness programme through Rally on the Fundamental Right and Duties on the occasion of Gandhi Jayanti



DLSA NEEMUCH






Awareness programme on the topic "Concept of Gandhiji's non-violence and mediation"

DLSA SHIVPURI





Online Mediation Awareness programme

Media Coverage



गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर हुई परिचर्चा

नीमच। अंतर्राष्टीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जिला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष

में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष, नीमच श्री हदेष जी के मुख्य आतिध्य एवं प्रधान न्यायाधीष, कुटुम्ब अहिंसा दिवस के चिंतक एवं समाजसेवी न्यायालय, नीमच श्री अवसर पर हुआ अखिलेष शुक्ला जी आयोजन की अध्यक्षता में ''गांधी जी की

अहिंसा की अवधारणा परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागरूकता षिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये आयोजन सम्पन्न हुआ। परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीष श्री हदेष जी ने अपने संबोधन में व्यक्ति किया कि गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा एवं उनके अमर विचारों पर अमल किया जावे तो पूरा समाज शांतिमय एवं हिंसा विहीन हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जब विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईष नहीं रहेगी और अहिंसा की अवधारणा पनपेगी। सुलह के माध्यम से समझौता कराने में मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका

उक्त कार्यक्रम को प्रधान न्यायाधीष कृदुम्ब न्यायालय श्री अखिलेष शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीष श्री विवेक कुमार, अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हेमलता धाकड, वरिष्ठ पत्रकार एवं

> नई विधा श्री राजेष मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मध् गांधीवादी बंसल, श्री अजय भटनागर, प्रोफसर शासकीय स्नातको तार महाविद्यालय नीमच डॉ संजय जोषी ने भी

और मध्यस्थता'' विषय पर सम्बोधित कर, गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा पर अपने विचार रखे एवं गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाप डाला। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन के उद्देष्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुये, अपर जिला न्यायाधीष/सचिव श्री संजय क्मार जैन ने कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार व्यक्त किया।

> कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीषगण, अधिवक्तागण, मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी विचारक, पैनल अधिवक्तागण, वालेन्टियर्स. पैरालीगल कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण

सम्मिलित हये। अहम हो जाती है। जिला न्यायालय परिसर में किया मध्यस्थता जागरूकता को प्रेरित HERE HEEE 381 (82) suf सरवा गांधी जयंती के अधवार पर ऑक्लाइन एवं स्टब्स माध्या स जिला -वायालय परिसर में संगलन यम्पन्यता कार्रवाई करने पर जार है इस्तार मध्ये प्रतिवागान (कहा है है के महार क्रिक के प्राप्त है है न्यायाधील शशीकला चंद्रा ने का विराज्यण किया सकर साथ महात्था वाची के चित्र पर माल्यापन प्राप्त किया जा सकता है। विसाद का एवं समक्ष क्षेप प्रजन्मलित कर अतिम रूप से निराहरण होता है। इस कर्मक्रम की शुरुआत की। प्रजानि भोके पर विशेष स्वातासील प्रका जिल्हित में उपस्थित ज्याचाचील एवं जीली, प्रधान ज्याचाचील ऑधन्यमधाओं को मध्यस्थल न्यायाणय केतन सिंह जिला भागक कामाना का नामा से विविध्य सहस्रात अधिकारी अस्पत अधिकक्षाताम समा ज्याचा प्रधार प्रधार कर लोगों को सिंह, जागरक करने एवं न्यायालय में न्यायालयन कर्मवारी मौजूद थे। गांधी जयंती पर सफाई मित्रों के लिए लगाया गया योजना शिविर

विवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाईश नहीं रहेगी -जिला न्यायाधीश

गांधी जयंती - अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन

नीमच । अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवाप्राधिकरण, नीमच द्वारादिनांक 02 अक्टबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12:00 बजे जला न्यायालय स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभाकश में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीय, नीमच श्री हदेश जी के मुख्य आतिष्य एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच श्री अखिलेश शुक्ला जी की अध्यक्षता में गांची जी की ऑहरिया की अवधारणा और मध्यस्वता वषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता ज्ञागरूकता शिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुये आयोजन सम्पन्न हुआ। परिचर्चा में माननीय जिला न्यायाधीश श्री हदेश जी ने अपने संबोधन में व्यक्ति किया कि गांधीजी की अहिंसा की अवधारणा एवं उनके अमर विचारों



पर अमल किया जावे तो पुरा समाज शांतिमय एवं हिंसा विहीन हो

उन्होंने कहा कि जबविवादों का समापन सुलह से होगा तो हिंसा की गुंजाहंप नहीं रहेगी और अहिंसा की अवधारणा पनपेगी। सुलह के माध्यम से समझौता कराने में मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका

अहमहो जाती है। उक्त कार्यक्रमको प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अखिलेश शक्ला, अपर जिला न्यायाधीश विवेक कुमार, अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती हमलता धाकड, वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक नई विधा श्री राजेश मानव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मध

बंसल, गांधीवादी चितक एवं समाजसेवी अजय भटनागर, प्रोफसर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच डॉ संजय जोशी ने भी सम्बोधित कर, गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा पर अपने विचार रखे एवं गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश हाला। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजन के उद्देश्य एवं रूपरेखा के बारे में अवगत कराते हुवे, अपर जिला न्यायाधीश/सचिव संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम का संचालन एवं अंत में आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण मध्यस्य अधिवक्तागण, गांधीवादी विचारक, पैनल अधिवक्तागण वालेन्टियसं पेरालीगल कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण सम्मिलित हुये।

गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता विषय पर हुई परिचर्चा

गांधी जयंती-अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ आयोजन

नीमच (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय अमर विचारों पर अमल किया की अवधारणा पनपेगी। सुलह के अखिलेष शुक्ला, अपर जिला कृतित्व पर प्रकाष हाला। अहिंसा दिवस के अवसर पर जावे तो पूरा समाज शांतिमय एवं माध्यम से समझीता कराने में न्यायाधीष विवेक कुमार,

जिला विधिक सेंग प्राधिकरण, नीमच द्वारा विनांक 02 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) को समय दोपहर १२:00 बजे जिला न्यायालय रिधत ए.डी.आर. सेंटर के सभाकक्ष में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीय, नीमध ह्रदेव के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान न्यायाधीष, कुदुम्ब न्यायातय, नीमच अखिलेष शुक्ला की अध्यक्षता में "गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा और मध्यस्थता'' विषय पर परिचर्चा एवं मध्यस्थता जागस्कता शिविर का कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुवे आयोजन



परिवर्ता में माननीय जिला हिंसा विदीन हो आयेगा। उन्होंने मध्यस्थता प्रक्रिया की भूमिका अधिवक्ता ठक्ष्मण सिंह भाटी, आयोजन के उद्देश्य एवं रूपरेखा

न्यायाधीष हुदेष ने अपने संबोधन कहा कि जब विवादों का समापन अहम हो जाती है। में व्यक्ति किया कि गांधीजी की चुठह से होगा तो हिंसा की उक्त कार्यक्रम को प्रधान हेमलता धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार अपर जिला न्यायाधीष/सधिव अहिंसा की अवधारणा एवं उनके मूंआईष नहीं रहेगी और अहिंसा न्यायाधीष कुट्मा न्यायाठ्य एवं नई विधा राजेश मानव, संजय कुमार जैन ने कार्यक्रम

सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती के बारे में अवगत कराते हुये, मध् बंसल, गांधीवादी चिंतक एवं व्यक्त किया।

समाजसेवी अजय भटनागर, प्रोफसर शासकीय रनातकोत्तर न्यायाधीषगण, अधिवक्तागण, गांधी जी की अहिंसा की पैरालीगल अवधारणा पर अपने विचार रखे कर्मचारीगण एवं पत्रकारगण

जिला पंचायत सदस्य श्रीमती का संचालन एवं अंत में आभार

कार्यक्रम में जिला स्थापना के महाविद्यालय नीमच हॉ संजय मध्यस्थ अधिवक्तागण, गांधीवादी जोषी ने भी सम्बोधित कर, विचारक, पैनठ अधिवक्तागण,

मालवा टूड

नदी के घाट पर साफ — सफाई कर दिया जागरुकता का संदेश



(नवद्यनिया न्युज)। गांधी जयंती एवं लालवहादर शास्त्री की जयंती पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को चारुवा गुप्लेश्वर मंविर के समीप माचक नवी के घाटों की

साफ-सफाई की गई। पैरालीगल वालंटियर संजय गंगराडे के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को समझाइश दी कि वह नदी के घाटों पर गंदगी न करें। गांधीजी के उनादशों पर चलकर अपने आसपासस्वच्छता बनाए रखें। इस नदी के घाट पर आसपास के 40

से 50 ग्राम केलोग घाट एवं मुंडन कार्यक्रम करने के लिए आते हैं। कार्यक्रम के बाद वे लोग मुंडन के वाल एवं ब्लेड आदि वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे घाटों पर काफी गंवगी होती है।

इस बौरान पैरालीगल बालंडि बर सुनील राजपूत, उप सरपंच संजय नामबेब, समिति से पवन बघेला, दिनेश दशोरे, विजय दशोरे, संदेश जैन, अभिषेक तिवारी, तरुण सोनी, सानिध्य गंगराडे, चिराग गंगराडे, लोबीप राजपूत अनावि मौजूब रहे।

Celebrating World Mental Health Day

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

दिनांक 10 अक्टूबर 2020 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा "तनाव मुक्त सफल जीवन" विषय पर एक ऑनलाईन वेबीनार आयोजित किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, सचिव, एवं प्रभारी मेंटल हेल्थ जिला चिकित्सालय छतरपुर डॉ. हिमांशी चतुर्वेदी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में ऑनलाईन माध्यम से जुड़े व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के तहत परिभाशित किया गया है और जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 के खंड (क्यू) के अर्थ में मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में रखा गया है विधिक सेवाओं के हकदार है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर ने

बताया कि व्यक्ति एकांकी जीवन जीने लगा है जिससे कि नेगेटिव थॉट आते है और सुसाइड कर लेता है, जानकारी देकर ऑनलाईन वेबीनार से जुड़े व्यक्तियों को लाभांवित किया।

डॉ. हिमांशी चतुर्वेदी प्रभारी मेंटल हेल्थ जिला चिकित्सालय छतरपुर ने बताया कि कोरोना काल के समय कैसे मनोरोग से बचने के लिए क्या उपाय करें, कैसे बचा जा सकता है, विशय पर विस्तृत जानकारी दी। डॉ. चतुर्वेदी ने बार—बार सेनेटाई जर से हाथ धोना यदि आप अकेले बैठे है तब भी बार—बार हाथ सेनेटाई जर से धोते हैं या साबुन से धोते है तो यह एक मनोरोग हो जाएगा आदि जानकारी प्रदान की।

उक्त ऑनलाईन वेबीनार शिविर में झाबुआ जिले के लोगों ने भी ऑनलाईन भाग लिया शिविर से लगभग 150 व्यक्ति लाभांवित हुये।





On Line Webinar

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

World Mental Health Day

10 अक्टूबर-2020

समय 5:00 बजे से

तनाव मुक्त सफल जीवन

नालसा (मानसिक अस्वस्थ्य नागरिकों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना-2015



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैत्ल

10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस मनाये जाने पैरालीगल वालेटियर्स श्रीमती स्वाती सोनी एवं श्रीमती वंदना बारस्कर के माध्यम से ग्राम मरामझिरी जिला बैतूल में शिविर आयोजित किया गया।


दिनांक 10.10.2020 को उक्त पैरालीगल वॉलेटियर्स द्वारा ग्राम मरामझिरी जिला बैतूल में पहुचकर ग्रामीणों को विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस के अवसर पर जागरूक किया गया एवं महिलाओं को प्रतिदिन योग करने के लाभ बताये गये जिसमें अनुलोम—विलोम तथा प्राणायाम करने के लाभ तथा विधि के बारे में विस्तार में जानकारी प्रदान की गई।





जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

दिनांक 09.10.2020 को अंतर्राष्टीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर गूगल मीट एप के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं पैरालीगल वालेंटियर्स एवं आमजनों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा

10 अक्टूबर 2020 का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा विश्व मनासिंक दिवस के अवसर पर डिप्रेशन से निपटने के निदान एवं उपायों के बारे में शिविर का आयोजन किया गया ।





Outreach Activities on various Schemes

Live TV program on Doordharshan

DLSA Secretary Bhopal participated as legal expert in Live T.V. Program on Doordharshan on 13th October, 2020 in order to aware the general public about their legal rights and duties. The said program was on the topic "Legal Services Authorities and their activities- Structure- Eligibility- Modes of legal services in Litigation".

Requisite information was being given about the functions, objectives of Legal services Authority in detail during the program. It has been given more emphasis that the legal services authority has wide jurisdiction to deal all civil cases, matrimonial cases, all compoundable criminal cases and mandatory pre litigation mediation in commercial dispute. Other information related to eligibility criteria in



order to get legal services and its procedure thereof were also given in simple and lucid language. Certain questions were raised by general public during the program and the Secretary given its answers accordingly.



DLSA SHEOPUR

Under the aegis of District Legal Services Authority, Sheopur (M.P.), PLV, Smt, Anjana Sharma had on dated 14-10-2020 organised a legal

literacy camp for women at Women Rights Center.

The awareness concerning rights conferred on women and harmful effects of consumption of tobacco and drugs were imparted in the said camp.



DLSA DHAR

निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की ओर से चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चों में से विजेता बच्चों को दिनांक 14.10.2020 को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित करते हुए पुरस्कार वितरण किया गया।







DLSA ANUPPUR

under the NALSA (Legal Services for Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015, at Gram Panchayat Bakhi on 12-10-20. People were made aware about the rights of the ST/SC (Prevention of Atrocities) Act, Victim compensation scheme, Free and Competent Legal Aid Scheme, Rights of Women inmates, various government



schemes operated for Tribals. 24 people benefited from the program.

Awareness camp ware organized under the NALSA (Legal Services for Unorganized Sector Workers) Scheme 2015, at Gram panchyat Village Dhiraul on 13-10-20. The people became aware about the labor law, public utility Lok Adalat, free and competent legal aid scheme. 21 people benefited from the program.




organized under the NALSA (Legal Services for Trafficking and Commercial Sexual Exploitation Victims) Scheme 2015, at Gram Panchayat Patna, on 13-10-20. There were told about the rights of women who are victims of crime, victim compensation, rehabilitation facility, free and competent legal assistance scheme. About rights of women prisoners, various government schemes operated for women and girls, facility of one stop center also told.





DLSA DATIA

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दितया द्वारा दिनांक 06.10.2020 को समर्पण नशा मुक्ति केन्द्र दितया की समस्याओं का समाधान एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से ऑन —लाईन निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया ।





DLSA CHHATARPUR

(1) Camp was organized at Mahila Samiti Chhatarpur to aware people about Fundamental Duties provided in the Consititution and NALSA Scheme - Legal Service to the Mentally ill and mental disabled persons, scheme-2015.



(2) Camp was organized at Village - Khajua, to aware people about NALSA Scheme - Legal Service to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace, scheme-2015.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

मद्य निषेध सप्ताह कार्यकम में दिनांक 7 अक्टूबर-2020 को जिला

चिकित्सालय झाबुआ में नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन) योजना–2015 अंतर्गत नशा मुक्ति एवं जागरूकता कार्यकम एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उपस्थित नशा पीड़ितों एवं आम नागरिको को नशे के व्यसन से मुक्ति के लिये चिकित्सीय उपचार एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया एवं सभी प्रकार के नशा तथा नशीली वस्तुयें जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, हैरोईन, आदि को छोड़ने की



सलाह एवं समझाईस दी गई। उक्त शिविर से लगभग 50 नशा पीड़ित एवं अन्य व्यक्ति लाभांवित हुये।

झाबुआ-बड़वानी

नवभारत

नशे की लत व्यक्ति के साथ परिवार और समाज के लिए घातक

कार्यक्रम के तहत बुधवार को को नहीं के ज्यसन से मृति के बिल चिक्रितालय प्रावृत्रों में लिये चिक्रितारेय उपचार एवं नातमा (ना। चीड्रां को विधिक मनोवैज्ञानिक परानर्ग दिया गया सेवार्व एवं नता उन्मृतन) एवं सभी प्रकार के नता तथा योजना-2015 अंतर्गत नक्षा मृति । नक्षां ने के बीडी, एवं जारकचन कार्यक्रम एवं तीवाक मिगोर शाह गाँच विधिक सक्षाता जिल्ला का भाग अप्रेम, बास, रेरोर्डन ऑद आयोजन जिला विधिक सेवा को वोहने की सलाह एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं समझहंश दो गई तथा नहा मुक्ति मह न्यायधीत राजेशाहरूर गुत्र। इन्द्र में उपचा व प्राप्यत हराहर के मार्न दर्शन एवं अपर विसा नहीं भी लाको होटी को सभी से न्यवाचीश, सर्वित जिला विधिक । अपील की गई। कार्यक्रम में अस सेवा प्रधिकरण देवींसवा के जिला न्यायाधीश देवींसवा ने निर्देशन एवं उस्तिक्षीत में संबोधित करते हुए कहा कि नहा, आयोजित किया गया। उपस्थित । चत्रा को बड है। विससे व्यक्ति का



आर्थिक शरीरिक व सम्माविक कैसर, इस एवं रक्त संबंधी नुकतान होता है एवं नहीं की लत - बीमारियों वैसे हार्ट अटैंब, क्षय के कारण अनेक गंभीर बीमारियों रोग (टीबी), युक्तवों में वैसे- मृह, पाल, ध्वनि तंत्र, पेट - नपुसकता, मोतियाबिट, नैग्रीन गर्भागव, पूर्व केपक्षे आदि का पहिलाओं में प्रवस्त धमता में

कमो अला, बोहरपर वैसी आदि। सेवा द्वाधिकरण झाबुओ द्वारा समस्याएँ आतो है। नशा व्यक्ति अनेक कार्यक्रम आयोजित को शारीरिक रूप से न्यू करना है। किये जा रहे हैं तथा सालमा एवं एवं व्यक्ति को सामाजिक स्थिति। नासमा को योजनाओं का भी खराब हो जाती है और वह - प्रचार-प्रमार किया गया। नशा व्यक्ति अपने परिवार व समाव पुर्ति के लिये समाव में पर बोप्र बन जाता है और नशा से। जागरू बता। आवश्यक ै। मुक्त होकर व्यक्ति अपने परिवार कार्यक्रम में हाँ. एसएस पर्ग समाव व राष्ट्र के विकास में द्वारा सचित्र फेल्टर के माध्यम सहयोग करता है। यह निषेध से नहीं से नकसान हवें प्रधान व सराह अंतर्गत गांधी जर्चती से उपचार की विस्तार की नमा पीड़ितों को नि:मुल्क वास्कारी दो गई। आयोवन में विधिष्ठ सहायता हर्व शासन को -याबाधीश शतक्षार चीहान विभिन्नः वनः कल्याणकारीः एवं रवि तेवर, कमना कटारा, योजनाओं को लाथ दिसावे पुष्पा मोलंकी एवं श्रीमही जाने के लिए बिला विधिक शर्मिला उपस्थित थी।

नशा पीड़ितों के लिये उपचार, परामर्श एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम में आत 7 अक्टूबर-को तित चिकितात्व प्रकृश में नालमा (नगा पोर्ड्स को विधिक संबाई एवं नहां उन्तृतन) योजन-2015 अंतर्गत पद्य मुक्ति एवं जगरूकता बार्यअम एवं विधिक साधरता शिविर का आयोजन जिला विभिन्न सेवा प्राधिकरण क अध्यव/कित एवं सत्र न्यपाधीत ही राजेश कुमार गुरा के मार्गदर्शन वर्ष अपर जिला न्यामधीर/मध्य जिल विधिव सेवा प्रधिवरण बी राजेश देवलिया के निर्देशन एवं उपस्थिति में आयोजित किया गया। उपस्थित नहा चोहितो एवं अस नागरिकों को नहीं के व्यसन

से मृति के लिये चिकित्सीय



उपचार एवं मन्त्रेनेज्ञानिक परामर्श स्त्र को छोड़ने को सभी से अनील जीसे- मूंह, याना, नानि शंत्र, पेट हैं। नाश व्यक्ति को शारिक रूप से उपचार की जिसता की जानकारी दिया गया। एवं सभी प्रकार के नहां की गई। कार्यक्रम में आर किला गर्धाराय, गुर्द फेस्स्ट्रे आदि का नष्ट करता है एवं व्यक्ति की दी गई। आसीतन में न्यायधीरणण तथा नशीली वस्तुचे जैसे बीडो, न्यायाधीश की रावेश देवीलया ने केसर, इदा एवं रक्त संबंधी सामर्शनक स्थित भी खराब हो की राजकुमार चीहर एवं की रीव तंबाब, सिगरेट, शराब, गांवा, संबोधित करते हुये कहा कि नता. बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, बाप रोग जाती है और वह व्यक्ति अपने तंबर, श्रीमती कमना कटारा, पूप्पा भाग, अभीम, चरम, हैरोईन, आदि जान को जड़ है, जिससे म्यक्ति का (टी.बी.), पुरुषों में नपुमकता, परिवार व सचात पर बोळ वन सोलंकी एवं श्रीमती रार्मिला को छोड़ने की समात एवं समाप्रदेश आर्थिक शारीरिक व साध्यतिक मेरिनप्रक्रिय, मेरिनाओं में जाता है। और नशा से मुख होकर उपस्थित खें।

मध निषेध समाह अंतर्गत गांधी तपती 2 अक्टूबर से नगा पीदिती को नि:शुल्क विधिक संग्रयत एव शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी पीतनाओं को लाभ दिलाने जाने देत जिला विधिक संब प्राधिकरण ज्ञाबुआ के द्वार अनेक कार्यक्रम आयोजित किये की योजनाओं का प्रचार-प्रमार क्रिया गया। नशा मृष्टि के लिये समाज में जागशकता आधरपन है। कार्यक्रम में डॉ. एस.एस. गर् निला चिकित्सालय प्राच्या के द्वरा सचित्र फेल्द्र के मध्यम से



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी

दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 (रविवार) को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के सामंजस्य से वनस्टॉप सेंटर, शिवपुरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे म जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता

अधिकारी एवं पी०एल०व्ही० कु० मोनिका केवट

उपस्थित रहीं।





अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर सामाजिक मानसिकता में बदलाव की अपील बेटियों की शिक्षा-सुरक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयासों की जरूरत

शिवपुरी। इतिहास गवाह है कि बेटियां कभी भी समाज और परिवारों में बोझ नहीं समझीं गईं, उन्हें देवी के रूप में हमेशा सम्मान की नजरों से देखा जाता रहा है। यह तो द्रषित सामाजिक सोच का परिणाम रहा कि हम विकसित होने का ढोंग करते करते दहेज के लालची बनते गए और अपनी हं बालिका संतान हमें बोझ लगने लगी। यह बात अंतरराष्ट्रीय वालिका दिवस के कार्यक्रम में जिला विधिक सहायत अधिकारी शिखा शर्मा ने कही।

महिला एवं बाल विकास द्वारा वन स्टॉप सेंटर में महिला एवं बच्चों के कानूनों पर आयोजित संगोष्टी में उन्होंने कहा कि हमें बेटे पैदा करने का अहंकार नहीं करना चाहिये। बेटे-बेटियां सब प्रकृति की देन हैं,उन्हें समान परवरिस, समान स्नेह और समान अवसर देने की जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा कि हम 21वीं सदी में बेटियों को बचाने के लिये इस प्रकार के दिवसों का आयोजन और योजनाओं का संचालन



कर रहे हैं। संगोष्ठी में पीसीपीएनडीटी एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण,पॉक्सो एवं बाल विवाह निषेध कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। विधिक सहायता अधिकारी शिखा ने कहा कि कानून दूसरों को सबक सिखाने के लिये नहीं, हमारी हिफाजत के लिये होते है। हमें उनके दुरुपयोग से बचना चाहिये।



साइकिल रैली निकालकर दिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश

महिला बाल विकास विभाग नरवर द्वारा बेटी बबाओ बेटी पदाओं योजनांतर्गत अंतरीब्ट्रीय बातिका दिवस के अवसर पर किशोरी बालिकाओं की साईकित रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर मुख्य अतिवि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र सुदरियाल ने हरी झंडी दिखाकर साईकिल रैली का शुभारंभ किया गवा। श्री सुंदरिकत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बातिका दिवस के उपलब्ध में उपस्थित आंगनवाडी कार्वकताओं, किन्त्रोरी बातिकाओं एवं जनसमूह को सामजिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी

ब्दाने तथा सभी सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर मुख्य सप से स्क्राक भूमिका निभाने वाली हिस्तओं का उदाहरण देकर विक्षोरी बालिकाओं को जीवन में आने बढ़ने हेतू प्रेरित किया। महिला सञ्चिकरण की दिशा में विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रवन की। साईकित रेली महिला एवं बाल विकास विभाग नरवर के जनवद परिसर में स्थित कार्यालय से प्रारंभ होकर बाईपास के रास्ते लोडी माता मंदिर से होते हुए नरवर मुख्य बाजार के रास्ते से वामिस होते हुए कार्यालय पर समाप्त हुई। उक्त रैली के सकल आयोजन में पुलिस विभाग नरवर का भी योगदान सराहनीय रहा। परियोजना अधिकारी रविरमन पाराशर द्वारा रैली समाप्ति पर भागीदारी करने वाली विश्वप्तेरी बालिकाओं एवं आगनवाडी कार्यकलाओं का आभार व्यक्त किया। उक्त रैली के आयोजन में मुख्य रूप से अजय तिवारी, वर्मेन्द्र यादव, श्रीमती अर्वना बहाजन, श्रीमती कीर्ति वर्मा, श्रीमती जक्देवी रावत, श्रीमती निका सिकरवार, श्रीमती अनीता शीवास्तव, शांकर मीर्य, अरविंद सिंह राजीरिया आरक्षक, सुनील रावत आरक्षक, केवरीलाल आदिवासी का योगदान सरहनीय रहा।

Mon, 12 October 2020 epaper.starsamachar.com/c/55606495





Empowering Women through Legal Awareness Camp



A CAMPAIGN for empowering women has been launched by Hon'ble Executive Chairman of NALSA, On the countries 74th,,under joint initiative of NALSA and NCW. In pursuance of scheme Legal Awareness Programme are being organized by DLSA's across the state under the existing protocol. The resource persons enlightened the female participants about certain women laws as prescribed by NALSA.

DLSA BALAGHAT (10.10.2020)





DLSA BARWANI (10.10.2020)







DLSA BETUL (14.10.2020)





DLSA BHIND (06.10.2020)





DLSA BURHANPUR (14.10.2020)







DLSA CHHATARPUR (14.10.2020)





DLSA DEWAS (10.10.2020)





DLSA DHAR (15.10.2020)







DLSA HOSHANGABAD (10.10.2020)





DLSA INDORE (10.10.2020)





DLSA JABALPUR (10.10.2020)







DLSA KATNI (10.10.2020)





DLSA KHANDWA (09.10.2020)





DLSA MANDLESHWAR (17.10.2020)







DLSA MANDSAUR (10.10.2020)





DLSA MORENA (09.10.2020)





DLSA NARSINGHPUR (20.10.2020)







DLSA NEEMUCH (10.10.2020)





DLSA PANNA (14.10.2020)





DLSA RAISEN (14.10.2020)







DLSA RAJGARH (12.10.2020)





DLSA SAGAR (10.10.2020)





DLSA SATNA (17.10.2020)







DLSA SEHORE (15.10.2020)





DLSA SEONI (16.10.2020)





DLSA SHAJAPUR (03.10.2020)





DLSA SHEOPUR (05.10.2020)







DLSA SIDHI (16.10.2020)





DLSA SINGRAULI (17.10.2020)





DLSA TIKAMGARH (23.10.2020)







DLSA UMARIA (10.10.2020)





DLSA VIDISHA (15.10.2020)





Media Coverage

18

ସାସଧାର କ ଧରଣ କାହ୍ୟାମା ପ ମାମଧାନ ଧା ଯାଉତାମ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଧାନ पहुंचना कार्यक्रम का उद्देश्य : आर.एम भगवती अपर जज कोटरा में विधिक जागरुकता महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संपन्न

क्रमेरी न्द्रम शकेर ष्ट्रीय विशेषक सेवा प्रविश्वसन एवं क्षेप महिला आयेग के तामध्यन में ाम कोटरा में जिसका जागरकाता से हिला सार्वाक्षण कार्यक्रम का हमोजन हुआ। कार्यक्रम स्मारिय के इस अस जन ग्राहम भगवती कार्यक्रम की एक्कार विस्तृति विधारी एवं विदेश



और उनकी स्वीतिंग की विसाने महिला सर्रात्तकरण अधिकारी रित् सुमन ने महिला बाल विकास विभाग कड़ कि जिन पोजनमें में आर पत्र हे जनका स्तम आप प्रतिरूप प्राप्त विकास हो हो हो प्राप्ती है ाम में *उपस्थित सन्धे महिल्लाओं* को nue fienze ser útiones fiere

पीक्र ओर शेपित महिलाई अपने ऑधकार के लिए लड़ नहीं चली है। कार्यक्षम के मुख्य अधिक अस जन अंत्र एम भगवती ने मता कि स्विधान द्वारा महिलाओं को प्राप्त अधिकारों की जानकारी आप तक पहुंचना ही इस जनसकता कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यक्रम में मुख्य सम पेश सीयल बॉल्डिटवर्स मुकेश मीण, राज खान, राम पंथायत के मुक्ताएं प्रदान की जाते है कार्यक्रम ऑप्टबरी, परंपवस माला, पूल रमेश महीर रमेश शर्म, लोकेन्द्र जर आधिकारी विश्वति तिवारी ने करा विजेश जाट एवम 80 मीरायां एवं जगरूकता से आकृत करना हमारा भागत स्थीत जीवत हो। प्रसा के जाजारों के प्रधान में बर्न

शिविर में महिलाओं को अपने अधिकारों के संबंध में दी जानकारी डेहरिया, जिला महिला एवं बाल राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से बाल विकास आधिकारी घोर

लाकी दर्शन बैत्स

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण । महिला चाल विकास विभाग के इन्त तल्कावधान में ग्राम मरामहिती विधिक साधरता एवं महिलाओं संशक्तिकरण विषय पर शिविर योजित किया गया। यह शिविर सा एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष ला विधिक सेवा प्राधिकरण सी रूसर जावेद सान एवं प्राधिकरण सचिव श्री मनीव कुमार मण्डलीई हिम्म में जिला विधिक है और सशक महिला से समाज में

विकास अधिकारी चीएल विश्लोई रिसोसं पर्सन/अधिवका बीमतो योगिता डोंगरे, सुखी शीतल गोस्वामी, ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव सहित महिला एवं चाल विकास विभाग की पेरालीगल वॉलॉटयर्स व ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रिथलेश डेहरिया ने बताया कि विधिक जायरूकता से मागंदर्शन में आयोजित किया ही महिलाओं का सरास्तिकरण संभव मिथलेश जागृति आती है। इसी ठोरच से कानूनी जानकारी भी दी। महिला एवं

जागरूकता शिविर आयोजित किया गमा है। उन्होंने कहा कि प्राय: यह देखा गया है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के जान के अभाव के चलते आबाज नहीं उठ पाती, इसी के चलते कई तरह की कठिनाइमों का सामना करती है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें न्याय दिलाने में सहायता की जाती है। अधिनियम, पारको एसट, विवाह की आपु, बाल विवाह आदि के बारे में गई।

जानकारी दी तथा बन स्टॉप सेंटर सेवाएं प्राप्त करने के संबंध महिलाओं को जानकारी दी। शि में पोषण आहार माह अंतर्गत पोर स्टॉल भी लगाए गए, विसमें महि चाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी श्रीमती नीर शर्मा द्वारा पोषण आशार बनाने देहरिया ने दहेज प्रतिषेध तरीका बताबा गया। इस दौरान थी। आहर व्यंवनीं की प्रदर्शनों भी सर

महिला सशक्तिकरण के लिये आयोजित हुआ जागरूकता शिविर



ामलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ई दिल्ली व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा विकरण के निर्देशानुसार एवं जिला गयाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा धिकरण नवीन सक्सेना के मार्गदर्शन में ध्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय हिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में हिलाओं से संबंधित कानून और मामलों से बीधत महिला संशक्तिकरण आग्रहकता विंद आज जिले के ग्राम बरमी नगर में ह्योजित किया गया। इस शिविर में

गई तथा रिसोसं पर्सन अधिवस्ता प्रियंका मिन्ना, अधिवक्ता तुलमा कोश ने भी शिवर में उपस्थित महिलाओं को विस्तृत रूप से संपंति में महिलाओं का अधिकार, व्यपहरण संबंधी कानून, क्रम विधियाँ, मातृत्व लाभ, समान पारिव्यमिक, धरेल् हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे एसिंड अटेक, बलासंग, दहेज, पति के डारा क्रुरता, लेगिक उत्पीद, दहेज प्रतिपेध अधिनियम, महिलाओं का घरण पोषण, भूज हत्या, महिलाओं का कार्यस्थल पर लेगिक उत्पीड, लैंगिक अपराधीं से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, चाल विवास प्रतिषेध अधिनियम इत्यदि कानुनों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर शिवर में आंगनवाडी

वेबर वाणा

MANGE A LO A AA

वेधिक साक्षरता शिविर आयोजित



हरा, संभ्य दिन्छ सहरवानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला न विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 14 स्वर को ग्राम मरामधिरी में विधिक साक्षरता महिलाओं का सर्शकिकरण विषय पर शिविर योजित किया गया। यह शिक्ति जिला एवं सब याधीर/अध्यक्ष जिला विशिषक सेवा प्राधिकाण स्मर जावेद खान एवं प्राधिकरण के सचिव ाज कुमार मण्डलोई के मार्गदर्शन में अवयोजित या गया। शिक्ति में जिला विधिक सहायता धकारी मिथलेश डेहरिया, जिला महिला एवं त विकास अधिकारी चीएल विश्लोई, रिसोर्स अधिवका श्रीमतो योगिता होगो, मुझो इत गोस्थामी, ग्राम पंचायत सरपंच-सर्थ हत महिला एवं बाल विकास विभाग

ज्यस्थित रहीं। शिवर में जिला विधिक सहा अधिकारी मिथलेश डेहरिया ने का कि विभिन्न आगरूकता से महिलाओं का सशक्तिकरण संधा और सरक महिला से समाव जागृति आती है। इसी उद्देश्य से ग्रह महिला आयोग के समन्वय महिलाओं के लिए यह कि বানসকলা হিচাপে আন্টাবিক বি गण है। उन्होंने कहा कि प्राय:

देखा गया है कि महिलाएं अपने अधिकारों के हैं बानून के जान के अधाव के चलते आवाज : ठत पाती, इसी के चलते कई तरह की कठिया का सामना करती है। विधिक सेवा प्राधिकरण। उन्हें न्याय दिलाने में सतायता की जाती है। हेडरिया ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पानको ए विकार को आपु, काल विकार आदि के बारे कानुनी जानकारी भी दी। महिला एवं बाल विव अधिकारी बीएल विश्लोई ने विधान द्वारा संधर्त विभिन्न कल्यानकारी योजनाओं की जानकारी तथा चन स्टॉप सेंटर की सेवाएं प्राप्त करने के सं में महिलाओं को जानकारी दी। लिखिर में पी अवहार माह अंतर्गत पोषण स्टील भी समाए 1

NLSA organises awareness camp for women empowerment women present in the camp.

B Legal Correspondent

UNDER the aegis of the National Legal Services Authority (NLSA), New Delhi, and the National Commission for Women and direction of Madhya Pradesh State Legal Services Authority. labalpur, with guidance of District Judge, Chairman District Legal Services Authority. labalput, Naveen Saxena, an awareness camp for women empowerment organised on Saturday at village Bargi Nagar

in Jabalpur district. In the said awareness camp for women empowerment, M Blani, District Legal Aid Officer, informed about the constitutional provisions and laws related to women and resource person advocate Priyanka Mishra. advocate Tulsa Kostha also gave detailed information to the

From women's rights in property, labour laws, maternity benefits, equal remuneration, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, crimes against women such as acidattacks, rape, cruelty by husband, sexual harasament, Information was given in relation to laws such as PC&PNDT ACT, , Sexual Harassment of Women at Workplace, Protection of Children from Sexual Offenses Act. Women's Health Rights, Prohibition of Child Marriage

in this awareness camp for empowerment Anganwadi supervisor, Mahila Swarozgar Yojana in-charge and paralegal volunteer Parvez Khan, Dinesh Rajput, Balvijay Rajput were present on the occasion with about 50 women attended.

ग्राम असरा म लगाया गया विधक जागरूकता शिवर...

महिलाओं से संबंधित कानूनी मुद्दों

क्री दी गई उपयोगी ज

गहेरणा डॉटकॉम, वारासिवनी। राष्ट्रीय महिला आयोग वह रिवर्त के धन्त्रय से राज्य विशिष्ट सेवा धिकरण जकारपुर के आदेशानुसार धा जिल्ला एवं स्टब्स् व्याचार्योग्स्/अस्मात स्त्र विविद्ध संस्थ प्राधिकाण श्याता अधारमध्ये केमाचारी के र्देशन में जनपर पंचायत कारस्थिती त्रेशन प्राप्त पंचायत असेन में प्राप्तीय त्र की महिलाओं को कानूनी बाद से गासक काने एवं स्थाल काने के स् विवित्र का आयोजन किया एया।

इस बार्रेक्टर में सर्विष्य एक्टी एक्टी लाल प्रशास प्राचित्रे/अस्तरक त्यातील विशेषक सेत्र भित्र वार्तासको कालोता समीता पर्व त्त विदेश स्तायत अधिकारे स्टेस्टर एवं, केंद्र परंत्र क्षेत्र कृति अधिकाला व अधेल रेक्ट अर्थकाटा प्रतित प्रतिततः १३ से प्रत्यान रेको हुर चोला विशेषण के पाप पान शका लग्नन ६० प्रयोग क्षेत्र की जीतान मूर्ग कार्यक्रम के दौरान उपनिवस स्त्री।

pa writers in federate force in रंबते ये उद्योगन हेर बारे लंदें का



महिलाओं को संबोधित करते हुए

मधेन करन तथ काद पंकान अधिकारो धी त्त्व क्रिकेट, प्राप्त रच्यावन सत्त्वच क्रीमाचे देखा के स्थापक की कार्यक स्थापक स्थाप रीतर प्रातेण क्षेत्र की व्यक्तवारों को दिए प्राथित प्राप्तेत में अने बाते कार्यों की जानाते दे गर्थ साथ है ति शुम्ब अधिकार को स्थापन, चीवर प्रीवट केवल, लेख अक्रम, क्लाम्ब और विश्वे से में उने अकार कराय एक रिस्टेस प्रतेन क्षेत्र कृते भ जर्मान्य से इस क्षेत्रण मानून जरमान अर्थान्य एवं बीचले प्रतेश द्वारा स्ट्राल्य स्थान स्



खंडवा भास्कर 1

हिलाओं को कानूनी साक्षरता का जू परिवार के विकास के लिए जरुरी

के सक्त में जीतकारों की के भागवता का क्षत्र संस्था प्रयक्ति ple referent le fluscott le flore you keller menund fort at stefasson that अंग्रे जोतन से स्पूर्ण प्रतितन of the sentence of referenced the na faire rameway tefut वाकेजन हुआ है। अस्तर देख It when you when



spaces all the in substead solution before recovered the mith unt ur feben meinen fi fmen feben ibm ubenten, de mieten ferm ubmen unte ती के पानों पत बर्ध जन भी करने के प्रदेशन से जिससे विशेषक अधिक प्रतानित है पत बात पालकेत ने किया। आधार स्वीपक

ग्रह्मां सा का कार्नेग सान्नरया का थान धाना आवहतत महिलाओं के लिये ग्राम जावर में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर

कार्थ को कार्युक्त को प्रश्नकारों हो गर्छ। the late of the distance of the same of

It will discour our out a season of the

New , named that is not it serverill ned sendor

जयपुर हेदराबाद दे को पूनः प्रारंभ कर की रखी माग tel many on we have with all the me and how while he stop become it



ग्राम कोटरा में हुआ विधिक जागरूकता शिविर संविधान में महिलाओं को मिले कई अधिकार : भगवती

जिल्हें के राम कोटल में आज जिला विविध केंद्र प्रतिकास क्षेत्र विशेषक जनसकत एवं महिला मार्गक्रफल विर्वेश का आयोजन fave on family on an it find fafor. सेन्द्र प्रशिवसाय के सर्वित न्यायधील आह एवं प्रथमों भीजूद रहे जहीं कार्यक्रम की arrown follow first advent findle रिकार्त ने की नहीं निर्देशक अधिन के रूप में महिला सार्वकारण अधिकारी रिशु सुमन मीजूद रहे। यह जानकारी देते हुए वेदासियत चीलीटेवर मुकेश मीला ने चलावा कि शाम कोरत में अहत विधिक जारकवात एवं भारता वालीकामरण विशेषर का अवशेषक क्षिण गया जिसमें सहित्याओं की कार्ने अधिकारी की जानकारी है। इस मीके पर



इस दोरान कार्यक्रम का संभातन वैशासीयान

महिला सार्वक्रिकरण अधिकारी रिज्ञ शुमन ने थी परितकार्धे को विकास करा के जा रही वीवनाओं की जनकारी है। इस अवस पर प्रमुख रूप से ओपने रख जातेर, सुधी नीता अञ्चलक ने भी सम्बंधित किया। इस र्वेक्ष पर कोटए राज में नियुक्त तिवा हैने वाले भोरोना पांडा रामोज मोण को भी प्रमानित क्रिया गया तथा लाडानी लाउंचे धारी अधिकारी को प्रवास पत्र विशस्य विवास समा। कार्यक्रम में हाल पंचायत के मार्चय गाँव भागी, पांचावत साविव स्क्रातील असम्बद अशायक सर्विक राज्यास अहरिकामी, विश्वस सरला, जांगनदाडी कार्यकर्ता फुला set, face set, seway ago, fours rice. मातीर रचेल ताची लीकेन्द्र जात विजेदर जात

कोटरा में आयोजित हुआ विधिक जागरुकता का महिला सशक्तिकरण कार्यकम

महिलाओं के अधिकार की जानकारी आप तक पहुंचना कार्यक्रम का उद्देश्य : आर.एम भगवती अपर जज

महिताओं को कानूनी जागरूकता से अवगत करना विधिक सेवा प्राधिकरण का तक्ष्य : विभति तिवारी

र्तिकाण एवं राष्ट्रीय व्हिरत आयेण के शायका में हम भोरत में विरोध जनसंख्या में परिता राजिकरण भागेक्स भा आयेकर हुआ: सार्गक्स में क्षा अविषे के तर अन कर अंतरक eneficacion sit aroun forfit fredi ne Patric infolia is no refer and all office profets

अरहेक्स का संस्कृत के लेकर अधिकार कर पुरः ने फिर्फा विर्मित्स जननारी से अवस्थ सारते हैं। ला विकास कार बीमते राज साहैन ओा रहते एनेल अपनात में बार्यक्रम में प्रतीमत साथै पतिलाओं को क्रम विकास कर संविद्यान विन्तः और उसकी स्वीतिन



ब्रीत है अरुको कान्त्री जारकारी होनी चरिए उसके

क्षरूपी चेंगराजी की विश्वार से समझते हुए बता. पतिला के लिए पर ज्योग स्टेश पर एक साथ जाते. पतिलाओं को बतानी बरावारत से अधार बराव. बोरीची चेंद्र सार्वार की समाप्त विश्व पत्त ह कि योजवाओं में आप को है उसके लोप और वहिंदार पहले की करी है। कार्रक्त में विरोध योख इससे लाग है जानकों के अपन में वहिंदी और उदक ही लाइने तर्मी राजे अर्थिकों को में प्रदान on any faara it it wait 3,6fpc aircriffer gifaary woos afaact feeft foult is an far reffer afonc and afaacc is fire any oil ordi. He was face fau van

भास्कर

धार भास्कर 18-10-2020

ये अपने अधिकारों की प्राप्त कर शीवण और

राष्ट्र का विकास करना है तो पहले महिलाओं का विकास जरूरी



धामनोद, कार्यक्रम को संबोधित करते अतिथि व शामिल महिलाएं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश बडोदिया ने कहा

भारकर संवाददाता धामनोद

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सयुंक्त तत्वावधान में धामनोद के एमएनडीसी कॉलेज में महिलाओं के उत्थान के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिधि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम बड़ोदिया, कानून विशेषज्ञ एकता शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा मेरवानी थी।

विशेष अतिथि जिला आयोग नाहर, धरमपुरी सीडीपीओ प्रिया बंदेला थी। न्यायाधीश बडोदिया ने किस प्रकार समाज के कमजोर

वर्ग एवं पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाया जा सकता है एवं निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जा सकती है इसके बारे में बताते हुए कहा यदि हमें राष्ट्र का विकास करना है तो पहले महिलाओं का विकास करना होगा। शर्मा ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, पाक्सो अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक अपराधों की रोकथाम, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के बारे में बताया। नाहर व राजपुरोहित ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सलोनी राठौर लेखा शर्मा, शिवसिंह तोमर धार मौजूद थी। कोरोना के नियमों का पालन करने व मास्क पहनने की शपथ दिलाई। संस्था द्वारा अतिथियों को अभिनंदन पत्र एव स्मृति चिह्न भेंट किए। संचालन मनोज नाहर एवं आभार सीमा मिश्रा ने माना।

शिविर में महिलाओं को दी गई अधिकारों की जानकारी प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961;

हरिभूमि न्यूज 🙌 सीहोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष राजवर्धनः गुप्ता के मार्गदर्शन में महिलाओं से सम्बंधित कानून और मुद्दों से सम्बंधित जागरूकता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से जागरूकता से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है।

महिलाओं के अधिकारों से सम्बंधित शिव्रिर में उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी कोरोना समस्त धाराओं के बारे में, उनको बारे में बताकर उन्हें अपने प्रति वापरस कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालने किया जाकर शिविर के पूर्व उपस्थित होने वाली महिलाओं व अधिकारियों की थमंल सक्रिनिंग की गई। शिविर में नागोत्रा ने महिलाओं के अधिकार, कानून की निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम के



सीहोर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर का हुआ आयोजन ।

सजग व साक्षर रहने के लिए प्रेरित किया गया व अन्य उदाहरण देकर भी विस्तार से समझाया।

दिलीप जैन सीईओ जनप्द पंचायत ने सर्वोच्च न्यायालय के जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। अधिवक्ता रजना शर्मा व बरखा वर्मा द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह

में महिलाओं को जानकारी दी गई। आबिद खान पैरालीगल वालेन्टियसं द्वारा शिविर में हेल्प डेस्क पर महिलाओं की समस्याओं के सम्बंध में आवेदन लिए गए। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश व सिचव जिला' विधिक सेवा प्राधिकरण एसके. नागोत्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अब्बासी, सीईओ जनपद पंचायत दिलीप जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रचना बुदोलिया एवं बरखा वर्मा, रंजना शर्मा, सरपंच व सचिव, पैरालीगल वालेन्टियर्स आबिद खान सहित महिलाएं आयोजित विधिक

साक्षरता शिविर में उपस्थित हुई।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन

अधिनियम 2013 के बारे मे शिविर

शिविर में महिलाओं को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा जिला न्यायाधीश च अध्यक्ष राजवर्धन गुसा के मार्गदर्शन में महिलाओं से संबंधित कानून और मुद्दों से संबंधित जागरूकता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से जागर-कता से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है।

शिविर में अपर जिला न्यायाधीरा व संविव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एसके. नागोत्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनीस अन्यासी, सीईओ जनपद पंचायत दिलीप जैन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रचना बुदोलिया एवं रिसोर्स पर्सन बरखा वर्मा, रजना शर्मा, सरपंच व सचिव, पैरालीगल वॉलेटियर्स आबिद खान सहित महिलाएं उपस्थित हुई। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित शिविर में उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन किया गया। शिक्तर में आने वाली सभी महिलाओं और अधिकारियों की धर्मल स्क्रीनिंग

की गई। शिविर में नागोत्रा ने महिलाओं के अधिकार, कानून की समस्त धाराओं के बारे में, उनको सजग और साधर रहने के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही उदाहरण देकर भी विस्तार से समझाया। नागोजा द्वारा महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

अनीस अञ्चासी जिला विधिक सहायता अधिकारी सीहोर द्वारा बताया गया कि शिविर का सरावितकरण है, महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक होकर सशक्त व राक्तिराली हो सकती हैं। महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 विधिक सहायता योजना एव परिवार परामर्श केंद्र योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

दिलीय जैन सीईओ जनपद पंचायत ने महिलाओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम के बारे में मताकर उन्हें खुद के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्र का विकास करना हैए तो महिलाओं का विकास आवश्यक है . त्यायाधीश बडोदिया



त्रहोत्र परितास अपनेपात् को सिक्षी अस्तिविद्यालय व्ययन्त्रेट सूर्व द्विपा अधिकारी को मुख्या हेतु किये. प्रीरालको सारोपी संतीपह सेवस

विशेष अधिक के अप में अपेश हैं 'से 'साने बरिनाओं का बातों सेपाप पर प्रभात साथ औपने सीमानिक पे पास किया। विशे

के वर्गक सम्बन्धन में चामरोड के. भूरेशन सीमाईम्पीनधीम् धामपूरीः जाने बाते वर्गियतिक प्रांपधानीः जार्थ एवं शिल जिल जिल पान मीं नर्देश दिल्ली करिनेक में उपनिवार केंद्र अधिकारों द्वार मीं कैसे, वीति, निर्देशक तत्वर, उपनिवार केंद्र कार्यक्रम में सोवात । एन मीताराओं के जन्मान हेतु विशिष्क अस्तरकों के सम्बद्ध दीन प्रकाशित अविश्वापिक प्रपानाता पांचको दिस्सीकिंग एवं कोरोना के समसा कर न्यायकोत महोदय महोदिया । सैविक अपरानों की रोक्तमान्य । सनक पहले की तानक दिवाई कार्यक्रम में यूक्त अर्थिन की नातक रे मान एवं प्रशासकारी की नवानन मनकारी अधिकारी या गयी के बोवद द्वारा न्यायानीक राजाराज बर्डारिक जिल्हा पूर्व बात . में जरूबतारी की कि किस प्रकार . प्रमाण प्राप्त प्रमा जानता पर . महीका की जिल्हा कुछ प्रकार . कि नापालीत एवं अधिक जिला. जनता के कामजेर को एवं पीटिंग, कीमती रीता पार ने माना के का राज्यपित जिला तथा एवं विभिन्न मेच प्रविकास घर तथा। असीम भी नाम दिलाया जा। यामुनिक विभाग हेतु नविला एवं। आयेश्वस में प्राविता जीतियाँ

रिवार्ति कर्मन के काप में बोमशी। अकार है एवं पिकाशुरूक विशेषक व्यक्तिका शिक्षा की अधिकार्त को। अधिक प्रथम एकता अन्ते अधिकाका भारत मुझी - संबंध प्रधान की जा सकती है का - बाहणा तथा जरेश राजपूर्वितात ने - क्रिकेटलेकार - बार - प्रांचातक - निय तुर्ग पेरावाणी ऑपनाबर भारत, मदि हार्षे राष्ट्र का विकास करना। देश की जाति में महिलाओं के। मीराताबी नातेन सात एवं जानत। करते

आक्रमें । सहीय विशिक्ष प्राम्पुरितित आफ्री विश्व पास्त् विकास करण होगा। कार्यक्रम इस कार्यक्रम में देश की समयन सेक्ट प्रतिप्रकारण वर्ष विक्री एवं . रीक कार सह मोकानक को नवेदा . में विश्लोभी पार्शन ने महिलाओं के . ८८ महिलाओं के साम . साम

Page 51

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
33	12

